RNI No. MAHBIL /2009/31746
Reg. No. MCS/176/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष ३, अंक १९] **गुरुवार ते बुधवार, जून १५-२१, २०१७/ज्येष्ठ २५-३१, शके १९३९** **[पृष्ठे ३३**

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १, सन् २०१६.— महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषिभूमि, हैद्राबाद अभिधृति तथा कृषिभूमि और महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषिभूमि (विदर्भ क्षेत्र) (संशोधन) अधिनियम, २०१६ . .	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २, सन् २०१६.— महाराष्ट्र धृतिक खण्डकरण तथा समेकन की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, २०१६ . .	१३
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३, सन् २०१६.— महाराष्ट्र राज्य लोक सेवाएँ (अनु. जाति, अनु. जनजाती, निरधिसूचित जनजाति (विमूक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछडा प्रवर्ग तथा अन्य अन्य पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, २०१६ . .	१४
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४, सन् २०१६.— अनाथालय तथा अन्य न्यस्त आवास (पर्यवेक्षण) तथा नियंत्रण विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभाग) तथा भवन तथा अन्य संरचना कर्मचारी (रोजगार का विनियमन तथा सेवा की शर्ते) (महाराष्ट्र संशोधन), अधिनियम, २०१६ . .	१६
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५, सन् २०१६.— महाराष्ट्र मलिन बस्ति दादा, अवैध शराब बनानेवाले मादकद्रव्य अपराधियों, खतरनाक व्यक्तियों और विडिओ पायरेड की खतरनाक गतिविधियोंका निवारण (संशोधन अधिनियम, २०१६ . .	१८
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६, सन् २०१६.— महाराष्ट्र पराचिकित्सा परिषद अधिनियम, २०१६ . .	२१

MAHARASHTRA ACT No. I OF 2016.

THE MAHARASHTRA TENANCY AND AGRICULTURAL LANDS, HYDERABAD TENANCY AND AGRICULTURAL LANDS AND MAHARASHTRA TENANCY AND AGRICULTURAL LANDS (VIDARBHA REGION) (AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३० दिसम्बर २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. I OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA TENANCY AND AGRICULTURAL LANDS ACT, HYDERABAD TENANCY AND AGRICULTURAL LANDS ACT, 1950 AND THE MAHARASHTRA TENANCY AND AGRICULTURAL LANDS (VIDARBHA REGION) ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक १ सन् २०१६।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १ जनवरी, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम, हैदराबाद अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम, १९५० तथा महाराष्ट्र अभिधृति और कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

और क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम, हैदराबाद अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम, १९५० तथा महाराष्ट्र अभिधृति और कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, अधिनियम, अधिनियमित किया जाता है :—

सन् १९४८ का ६७। सन १९५० का हैद्रा. २१। सन १९५८ का ९९।

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम। १. यह अधिनियम महाराष्ट्र अभिधृति और कृषि भूमि, हैदराबाद अभिधृति और कृषि भूमि तथा महाराष्ट्र अभिधृति और कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

अध्याय दो

महाराष्ट्र अभिधृति और कृषि भूमि अधिनियम में संशोधन।

सन् १९४८ का ६७। सन् १९४८ का ६७ की धारा ६३ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र अभिधृति और कृषि भूमि (जिसे इसमें आगे "महाराष्ट्र अभिधृति अधिनियम" कहा गया है) की धारा ६३ की उप-धारा (१ख) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

"(१ग) उप-धारा (१) की कोई भी बात नगर निगम या नगर परिषद की सीमाओं के भीतर या महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन नियुक्त या गठित विशेष योजना प्राधिकरण या नए नगर विकास प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर स्थित भूमि को, और महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन तैयार प्रारुप या अंतिम प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना स्कीम में आवास, वाणिज्य, औद्योगिक या किसी अन्य अ-कृषक उपयोग के लिए आबंटित भूमि को भी लागू नहीं होगी :

सन् १९६६ का महा. ३७। सन् १९६६ का महा. ३७।

परंतु, निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक ऐसे किसी अ-कृषक उपयोग के लिए या किसी अन्य अ-कृषक उपयोग के लिए कोई व्यक्ती जो कृषक नहीं है उसके पक्ष में भूमि का कोई अंतरण ऐसी शर्तों के अध्यधीन किया जाएगा की, अंतरण के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के भीतर ऐसी भूमि का अ-कृषक प्रयोग किया जाएगा, और ऐसी भूमि के अधिकार अभिलेख में ऐसे शर्तों की सम्यक् प्रविष्टी की जाएगी :

परंतु आगे यह कि, प्रारुप या अंतिम विकास योजना या प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना में अनुज्ञेय किसी अ-कृषक उपयोग के लिए अंतरित भूमि के बारे में, उपरोक्त पाँच वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, कलक्टर द्वारा प्रतिवर्ष ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के दो प्रतिशत दर पर अनुपयोग प्रभारों की अदायगी पर, जो पाँच वर्षों से अधिकतर न हो इतनी विस्तार अवधि दी जा सकेगी जहाँ ऐसी विस्तारित अवधि की मंजूरी के दिनांक को लागू बंबई स्टाम्प (संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य का अवधारण) नियम, १९९५ के अधीन प्रकाशित दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार बाजार मूल्य परिगणित किया जाएगा :

परंतु यह भी कि, यदि पश्चात्वर्ती अंतरिती समेत कोई अंतरिती, यदि कोई हो, उस भूमि की पाँच वर्षों की अवधि के भीतर, या, जहाँ उपरोक्त रुप में अनुपयोग प्रभारों को अदा किया गया हे वहाँ, कुल दस वर्षों की अवधि के भीतर, प्रारुप या अंतिम विकास योजना या प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना स्कीम में अनुज्ञेय अ-कृषिक भूमि का उपयोग करने में असफल होता है तो कलक्टर उक्त चुककर्ता अंतरिती को एक महीने की नोटिस देने के पश्चात् ऐसी भूमि वापस लेगा और कलक्टर द्वारा इस प्रकार वापस ली गई भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर सरकार को निहित होगी और मूल भू-धारक द्वारा वह भूमि ऐसे अ-कृषिक उपयोग के लिए अंतरण करने के पूर्व जिस भू-धृति पर प्रारंभिक रुप से धारण की थी उसी भू-धृति पर और ऐसे मूल भू-धारक द्वारा ऐसे अ-कृषिक उपयोग के लिए वह भूमि जिस मूल्य पर अंतरित की गई थी उसी मूल्य पर मूल भू-धारक को दी जाएगी :

परंतु यह भी कि, यदि मूल भू-धारक उक्त भूमि के खरीदने का प्रस्ताव कलक्टर से प्राप्त दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करने में असफल होता है या ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करने के पश्चात्, अधिकतर नब्बे दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक राशि कलक्टर को जमा करने में असफल होता है तो प्रारुप या अंतिम विकास योजना या प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना स्कीम के अधीन सुसंगत तथा अनुज्ञेय ऐसे किसी उपयोग के लिए ऐसी भूमि की नीलामी की जाएगी :

परंतु यह भी कि, यदि कोई व्यक्ति जो कृषक नहीं है, प्रारुप या अंतिम विकास योजना या प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना स्कीम में अनुज्ञेय ऐसे अ-कृषक उपयोग के लिए उक्त भूमि का पूर्णतः या अंशतः उपयोग करने में असफल होता है, और तत्पश्चात्, उस भूमि की बिक्री दस वर्षों की कुल विहित कालावधि के अवसान के पूर्व करना चाहता है, तब कलक्टर द्वारा, द्वितीय परंतुक में विनिर्दिष्ट अनुपयोग प्रभारों की अदायगी के अध्यधीन, ऐसे अ-कृषक उपयोग के लिए उक्त भूमि के प्रथम अंतरण के दिनांक से विहित दस

वर्षों की कालावधि में से शेष कालावधी के लिए, प्रारूप या अंतिम विकास योजना या प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना स्कीम में अनुज्ञेय किसी अ-कृषक उपयोग के लिए अंतरिती, वर्तमान वार्षिक दरों के विवरण के अनुसार ऐसे भूमि के बाजार मूल्य के पच्चीस प्रतिशत दर पर अंतरण प्रभार जमा करेगा इस शर्त के अध्यधीन, उसे इस प्रकार करने की अनुमति दी जाएगी।".

सन् १९४८ का ६७ की धारा ६३-१ क में संशोधन।

३. महाराष्ट्र अभिधृति अधिनियम की धारा ६३-१ क की,–

(एक) उप-धारा (१) के, –

(क) मूल खण्ड में, "या, यथास्थिति, विशेष नगरी परियोजनाओं के लिए," शब्दों के स्थान में, "या, यथास्थिति, एकीकृत नगरी परियोजनाओं के लिए," शब्द रखे जाएँगे ;

(ख) खण्ड (एक) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(एक) महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन तैयार किए गए, या यथास्थिति, प्रारूप या अंतिम प्रादेशिक योजना या प्रारूप या अंतिम नगर योजना स्कीम के कृषिक क्षेत्र, और ऐसे अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त ऐसी विधियों में से किसी विधि के अधीन विरचित योजनाएँ या स्कीम और विकास नियंत्रण विनियम या नियम उस भूमि के औद्योगिक उपयोग को अनुमति देते हो ; या" ; सन् १९६६ का महा. ३७ ।

(ग) खण्ड (तीन) में, "किसी विशेष नगरी परियोजना के" शब्दों के स्थान में," "किसी एकीकृत नगरी परियोजना के" शब्द रखे जाएँगे ;

(घ) प्रथम तथा द्वितीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु, जहाँ भूमि की ऐसी खरेद **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग के लिए है तो वह ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगी कि, खरेद के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के भीतर ऐसी भूमि का **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग किया जाएगा :

परंतु आगे यह कि, प्रारूप या अंतिम विकास योजना या प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना में अनुज्ञेय किसी अ-कृषक उपयोग के लिए अंतरित भूमि के बारे में, उपरोक्त पाँच वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, कलक्टर द्वारा, प्रतिवर्ष ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के दो प्रतिशत दर पर अनुपयोग प्रभारों की अदायगी पर, जो पाँच वर्षों से अधिकतर न हो इतनी विस्तार अवधि दी जा सकेगी जहाँ ऐसी विस्तारित अवधि की मंजूरी के दिनांक को लागू बंबई स्टाम्प (संपत्ति के **वास्तविक** बाजार मूल्य का अवधा) नियम, १९९५ के अधीन प्रकाशित दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार बाजार मूल्य परिगणित किया जाएगा :

परंतु यह भी कि, यदि खरीददार ने उस भूमि की पाँच वर्षों की अवधि के भीतर, या, जहाँ उपरोक्त रुप में अनुपयोग प्रभारों को अदा किया गया है वहाँ, कुल दस वर्षों की अवधि के भीतर, भूमि का वास्तविक औद्योगिक उपयोग करने में असफल होता है तो कलक्टर उक्त चुककर्ता खरीददार को एक महीने की नोटीस देने के पश्चात, ऐसी भूमि वापस लेगा और कलक्टर द्वारा इस प्रकार वापस ली गई भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर सरकार को निहित होगी और मूल भू-धारक द्वारा वह भूमि ऐसे वास्तविक औद्योगिक उपयोग के लिए अंतरण करने के पूर्व जिस भू-धृति पर प्रारंभिक रुप से धारण की थी उसी भू-धृति पर और ऐसे मूल भू-धारक द्वारा ऐसे वास्तविक औद्योगिक उपयोग के लिए वह भूमि जिस मूल्य पर अंतरित की गई थी उसी मूल्य पर मूल भू-धारक को दी जाएगी :

परंतु यह भी कि, यदि मूल भू-धारक उक्त भूमि के खरीदने का प्रस्ताव कलक्टर से प्राप्त दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करने में असफल होता है या ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करने के पश्चात्, अधिकतर नब्बे दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक राशि कलक्टर को जमा

करने में असफल होता है तो प्रारूप या अंतिम विकास योजना या प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना स्कीम, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मंजूर, यदि कोई हो, के अधीन सुसंगत तथा अनुज्ञेय ऐसे किसी उपयोग के लिए ऐसी भूमि की नीलामी की जाएगी ;

सन् १९६६ का महा. ३७ ।

और दोनों मामलों में, चूककर्ता अंतरिती केवल, जिस मूल्य पर उसके द्वारा ऐसी भूमि खरीदी गई थी उस समान मूल्य के प्रतिकर के लिए वह हकदार होगा, और कलक्टर, उक्त नीलामी के अधिन संदाय की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ऐसे चूककर्ता अंतरिती को ऐसा प्रतिकार विप्रेषित करेगा :";

(दो) उप-धारा (२) में,—

(क) "विशेष नगरी परियोजना के लिए" शब्दों के स्थान में, "एकीकृत नगरी परियोजना के लिए" शब्द रखे जाएँगे ;

(ख) निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु, यदि ऐसा खरीददार एक महिने के भीतर ऐसी रकम जमा करने में असफल होता है, तब ऐसा खरीददार क्रय मूल्य या उस वर्ष के वार्षिक दरों के विवरण के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत इतनी रकम, जो कोई अधिक हो, सरकार को अदा करेगा ।";

(तीन) उप-धारा (३) में, "या, यथास्थिति, विशेष नगरी परियोजना के लिए," शब्दों के स्थान में, "या यथास्थिति, एकीकृत नगरी परियोजना के लिए," शब्द रखे जाएँगे ;

(चार) उप-धरा (४) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(५) **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि का रूपांतरण करने के लिए उप-धारा (१) के अधीन यदि भूमि क्रय करनेवाला व्यक्ति, **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग के लिए, उक्त भूमि का पूर्णतः या अंशत : उपयोग करने में असफल होता है और दस वर्षों की कुल विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व उस भूमि की बिक्री करना चाहता है, तो कलक्टर द्वारा, उप-धारा (१) के द्वितीय परंतुक में विनिर्दिष्ट अनुपयोग प्रभारों की अदायगी के अध्यधीन, मूल खरीद के दिनांक से विनिर्दिष्ट दस वर्षों की अवधि में से शेष अवधि के लिए, निम्न शर्तों के अध्यधीन, उसे इस प्रकार करने की अनुमति दी जा सकेगी, अर्थात् :—

(एक) जहाँ **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग के लिए उक्त भूमि बेची जानी है वहाँ अंतरिती को वर्तमान वार्षिक दरों के विवरण के अनुसार ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पच्चीस प्रतिशत दर पर अंतरण प्रभार कलक्टर को जमा करना होगा ;

(दो) जहाँ उक्त भूमि **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग से अन्य किसी अ-कृषक प्रयोजन के लिए बेची जानी है, जो महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन बनाए गए प्रारूप या अंतिम विकास योजना या नगर योजना स्कीम से सुसंगत है, तब अंतरिती को, वर्तमान वार्षिक दरों के विवरण के अनुसार ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के समतुल्य रूपांतरण प्रभार कलक्टर को देना होगा और भूमि अधिभोगी वर्ग-दो के मामले में, ऐसी भूमि जिस दर पर मूल रूप से खरीदी गई थी, उस दर के अडतालीस प्रतिशत इतनी अतिरिक्त रकम **नजराने** के बदले में जमा करना होगा ।";

सन् १९६६ का महा. ३७।

(पाँच) स्पष्टीकरण में,—

(एक) खण्ड (क) में, "बिजली परियोजनाओं और संबंधित उद्योग के अनुसंधान तथा विकास, गोदाम, कैंटीन, कार्यालय भवन जैसे सहायक औद्योगिक उपयोग" शब्दों के स्थान में, "बिजली परियोजनाओं और संबंधित उद्योग के **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग से संबंधित अनुसंधान तथा विकास इकाईयाँ, गोदाम, कैंटीन, कार्यालय भवन जैसे सहायक औद्योगिक उपयोग " शब्द रखे जाएँगे ;

(दो) खण्ड (कक) के स्थान में, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) "एकीकृत नगरी परियोजना" का तात्पर्य, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सरकार द्वारा एकीकृत नगरी के विकास के लिए विरचित विनियमों के अधीन सरकार द्वारा एकीकृत नगरी के विकास के लिए विरचित विनियमों के अधिन एकीकृत नगरी परियोजना या परियोजनाओं से है ।"। सन् १९६६ महा. ३७।

अध्याय तीन

हैदराबाद अभिधृति तथा कृषक भूमि अधिनियम, १९५० में संशोधन।

सन् १९५० का हैद्रा. २१ की धारा ४७ में संशोधन।

४. हैदराबाद अभिधृति तथा कृषक भूमि अधिनियम, १९५० (जिसे इसमें आगे "हैदराबाद अभिधृति अधिनियम" कहा गया है), की धारा ४७ की उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :— सन् १९५० का हैद्रा. २१।

"(३क) उप-धारा (१) की कोई भी बात, नगर निगम या नगर परिषद की सीमाओं के भीतर या महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन नियुक्त या गठित विशेष योजना प्राधिकरण या नए नगर विकास प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर स्थित भूमि को, और महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन तैयार प्रारुप या अंतिम प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना स्कीम में आवास, वाणिज्य, औद्योगिक या किसी अन्य अ-कृषक उपयोग के लिए आबंटित भूमि को भी लागू नहीं होगी : सन् १९६६ महा. ३७।

परंतु, निवासी, वाणिज्यक, औद्योगिक ऐसे किसी अ-कृषक उपयोग के लिए या किसी अन्य अ-कृषक उपयोग के लिए कोई व्यक्ति जो कृषक नहीं है उसके पक्ष में भूमि का कोई अंतरण ऐसी शर्तों के अध्यधीन किया जाएगा कि, अंतरण के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के भीतर ऐसी भूमि का अ-कृषक प्रयोग किया जाएगा, और ऐसी भूमि के अधिकार अभिलेख में ऐसे शर्तों की सम्यक् प्रविष्टि की जाएगी :

परंतु आगे यह की, प्रारुप या अंतिम विकास योजना या प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना में अनुज्ञेय, किसी अ-कृषक उपयोग के लिए अंतरित भूमि के बारे में, उपरोक्त पाँच वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, कलक्टर द्वारा, प्रतिवर्ष ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के दो प्रतिशत दर पर अनुपयोग प्रभारों की अदायगी पर, जो पाँच वर्षों से अधिकतर न हो इतनी विस्तार अवधि दी जा सकेगी जहाँ ऐसी विस्तारित अवधि की मंजूरी के दिनांक को लागू बंबई स्टाम्प (संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य का अवधारेष नियम, १९९५ के अधीन प्रकाशित दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार बाजार मूल्य परिगणित किया जाएगा :

परंतु यह भी कि, यदि पश्चातवर्ती अंतरिती समेत कोई अंतरिती, यदि कोई हो, उस भूमि की पाँच वर्षों की अवधि के भीतर, या, जहाँ उपरोक्त रुप में अनुपयोग प्रभारों को अदा किया गया है वहाँ, कुल दस वर्षों की अवधि के भीतर, प्रारुप या अंतिम विकास योजना या प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना स्कीम में अनुज्ञेय अ-कृषक भूमि का उपयोग करने में असफल होता है तो कलक्टर उक्त चुककर्ता अंतरिती को एक महीने की नोटिस देने के पश्चात् ऐसी भूमि वापस लेगा और कलक्टर द्वारा इस प्रकार वापस ली गई भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर सरकार को निहित होगी और मूल भू-धारक द्वारा वह भूमि ऐसे अ-कृषक उपयोग के लिए अंतरण करने के पूर्व जिस भू-धृति पर प्रारंभिक रुप से धारण की थी उसी भू-धृति पर और मूल भ-धारक द्वारा ऐसे अ-कृषक उपयोग के लिए वह भूमि जिस मूल्य पर अंतरित की गई थी उसी मूल्य पर मूल भू-धारक को दी जाएगी :

परंतु यह भी कि, यदि मूल भू-धारक उक्त भूमि के खरीदने का प्रस्ताव कलक्टर से प्राप्त दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करने में असफल होता है या ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करने के पश्चात्, अधिकतर नब्बे दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक राशि कलक्टर को जमा करने में असफल होता है तो प्रारुप या अंतिम विकास योजना या प्रादेशिक योजना या यथास्थिति, नगर योजना स्कीम के अधीन सुसंगत तथा अनुज्ञेय ऐसे किसी उपयोग के लिए ऐसी भूमि की नीलामी की जाएगी, और दोनों मामलों में, चूककर्ता अंतरिती केवल, जिस मूल्य पर उसके द्वारा ऐसी भूमि खरीदी गई थी उस समान मूल्य के प्रतिकर के लिए वह हकदार होगा, और कलक्टर, उक्त नीलामी के अधीन संदाय की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ऐसे चूककर्ता अंतरिती को ऐसा प्रतिकर लौटाएगा :",

परंतु यह भी कि, यदि कोई व्यक्ति जो कृषक नहीं है, प्रारुप या अंतिम विकास योजना या प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना स्कीम में अनुज्ञेय ऐसे अ-कृषक उपयोग के लिए उक्त भूमि का पूर्णतः या अंशतः उपयोग करने में असफल होता है, और तत्पश्चात्, उस भूमि की बिक्री दस वर्षों की कुल विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व करना चाहता है, तब कलक्टर द्वारा, द्वितीय परंतुक में विनिर्दिष्ट अनुपयोग प्रभारों की अदायगी के अध्यधीन, ऐसे अ-कृषक उपयोग के लिए उक्त भूमि के प्रथम अंतरण के दिनांक से विनिर्दिष्ट दस वर्षों की कालावधि में से शेष कालावधि के लिए, प्रारुप या अंतिम विकास योजना या प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना स्कीम, में अनुज्ञेय किसी अ-कृषक उपयोग के लिए अंतरिती, वर्तमान वार्षिक दरों के विवरण के अनुसार ऐसे भूमि के बाजार मूल्य के पच्चीस प्रतिशत दर पर अंतरण प्रभार जमा करेगा इस शर्त के अध्यधीन, उसे इस प्रकार करने की अनुमति दी जाएगी।"।

५. हैदराबाद अभिधृति अधिनियम की धारा ४७क की,— सन् १९५० हैद्रा. २१ की धारा ४७क में संशोधन।

(एक) उप-धारा (१) के,—

(क) मूल खण्ड में, "या, यथास्थिति, विशेष नगरी परियोजनाओं के लिए," शब्दों के स्थान में, "या, यथास्थिति, एकीकृत नगरी परियोजनाओं के लिए," शब्द रखे जाएँगे ;

(ख) खण्ड (एक) के स्थान में, निम्नखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

सन् १९६६ का महा. ३७।

"(एक) महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन तैयार किए गए, या, यथास्थिति, प्रारुप या अंतिम प्रादेशिक योजना या प्रारुप या अंतिम नगर योजना स्कीम के कृषिक क्षेत्र, और ऐसे अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त ऐसी विधियों में से किसी विधी के अधीन विरचित योजनाएँ या स्कीम और विकास नियंत्रण विनियम या नियम उस भूमि के औद्योगिक उपयोग को अनुमति देते हो ; या ";

(ग) खण्ड (तीन) में, "किसी विशेष नगरी परियोजना के" शब्दों के स्थान में, "किसी एकीकृत नगरी परियोजना के" शब्द रखे जाएँगे ;

(घ) प्रथम तथा द्वितीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

परंतु, जहाँ भूमि की ऐसी खरेदी **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग के लिए है तो वह ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगी कि, खरेदी के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के भीतर ऐसी भूमि का **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग किया जाएगा :

परंतु आगे यह कि, उपरोक्त पाँच वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, कलक्टर द्वारा प्रतिवर्ष ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के दो प्रतिशत दर पर अनुपयोग प्रभारों की अदायगी पर, जो पाँच वर्षों से अधिकतर न हो इतनी विस्तार अवधि दी जा सकेगी, जहाँ ऐसी विस्तारित अवधि की मंजूरी के दिनांक को यथा लागू बंबई स्टाम्प (संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य का आवधारण) नियम, १९९५ के अधीन प्रकाशित दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार बाजार मूल्य परिगणित किया जाएगा :

परंतु यह भी कि, यदि खरीददार ने उस भूमि की पाँच वर्षों की अवधि के भीतर, या, जहाँ उपरोक्त रुप में अनुपयोग प्रभारों को अदा किया गया है वहाँ, कुल दस वर्षों की अवधि के भीतर, भूमि का वास्तविक औद्योगिक उपयोग करने में असफल होता है तो कलक्टर उस चूककर्ता खरीददार को एक महीने की नोटिस देने के पश्चात्, ऐसी भूमि वापस लोगा और कलक्टर द्वारा इस प्रकार वापस ली गई भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर सरकार को निहित होगी और मूल भू-धारक द्वारा वह भूमि ऐसे वास्तविक औद्योगिक उपयोग के लिए अंतरण करने के पूर्व जिस भू-धृति पर प्रारंभिक रूप से धारण की थी उसी भू-धृति पर और एसे मूल भू-धारक द्वारा ऐसे **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग के लिए वह भूमि जिस मूल्य पर अंतरित की गई थी उसी मूल्य पर मूल भू-धारक को दी जाएगी :

परंतु यह भी कि, यदि मूल भू-धारक उक्त भूमि के खरीदने का प्रस्ताव कलक्टर से प्राप्त दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करने में असफल होता है या ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करने के पश्चात्, अधिकतर नब्बे दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक राशि कलक्टर को जमा

करने में असफल होता है तो विकास योजना या, यथास्थिति, प्रादेशिक योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मंजूर, यदि कोई हो, के अधीन सुसंगत तथा अनुज्ञेय ऐसे किसी उपयोग के लिए ऐसी भूमि की नीलामी की जाएगी ; और दोनों मामलों में, चूककर्ता खरीददार, केवल, जिस मूल्य पर उसके द्वारा ऐसी भूमि खरीदी गई थी उस समान मूल्य के प्रतिकर के लिए वह हकदार होगा, और कलक्टर, उक्त नीलामी के अधीन संदाय की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ऐसे चूककर्ता खरीददार को ऐसा प्रतिकर लौटाएगा :";

(दो) उप-धारा (२) में,–

(क) "विशेष नगरी परियोजना के लिए" शब्दों के स्थान में, "एकीकृत नगरी परियोजना के लिये" शब्द रखे जाएँगे ;

(ख) निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु, यदी ऐसा खरीददार एक महीने के भीतर ऐसी रकम जमा करने में असफल होता है, तब ऐसा खरीददार क्रय मूल्य या उस वर्ष के वार्षिक दरों के विवरण के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत इतनी रकम, जो कोई अधिक हो, सरकार को अदा करेगा।";

(तीन) उप-धारा (३) में, "या यथास्थिति, विशेष नगरी परियोजना के लिए," शब्दों के स्थान में, "या, यथास्थिति, एकीकृत नगरी परियोजना के लिए," शब्द रखे जाएँगे ;

(चार) उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :–

"(५) **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि का रुपांतरण करने के लिए उप-धारा (१) के अधीन यदि भूमि क्रय करने वाला व्यक्ति, **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग के लिए, उक्त भूमि का पूर्णतः या अंशतः उपयोग करने में असफल होता है और दस वर्षों की कुल विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व उस भूमि की बिक्री करना चाहता है, तो कलक्टर द्वारा, उप-धारा (१) के द्वितीय परंतुक में विनिर्दिष्ट अनुपयोग प्रभारों की अदायगी के अध्यधीन, मूल खरीदी के दिनांक से विनिर्दिष्ट दस वर्षों की अवधि में से शेष अवधि के लिए, निम्न शर्तों के अध्यधीन, उसे इस प्रकार करने की अनुमति दी जा सकेगी, अर्थात् :–

(एक) जहाँ **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग के लिए उक्त भूमि बेची जानी है वहाँ अंतरिती को वर्तमान वार्षिक दरों के विवरण के अनुसार ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पच्चीस प्रतिशत दर पर अंतरण प्रभार कलक्टर को जमा करना होगा ;

(दो) जहाँ उक्त भूमि **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग से अन्य किसी अ-कृषक प्रयोजन के लिए बेची जानी है, जो महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन बनाए गए प्रारुप या अंतिम विकास योजना या नगर योजना स्कीम से सुसंगत है, तब अंतरिती को, वर्तमान वार्षिक दरों के विवरण के अनुसार ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के समतुल्य रुपांतरण प्रभार कलक्टर को देना होगा और भूमि अधिभोगी वर्ग-दो के मामले में, ऐसी भूमि जिस दर पर मूल रुप से खरीदी गई थी, उस दर के अडतालीस प्रतिशत इतनी अतिरिक्त रकम **नजराने** के बदले में जमा करना होगा ।"; सन् १९६६ का महा. ३७।

(पाँच) स्पष्टीकरण में,–

(एक) खण्ड (क) में, "बिजली परियोजनाओं और संबंधित उद्योग के अनुसंधान तथा विकास, गोदाम, कैंटीन, कार्यालय भवन जैसे सहायक औद्योगिक उपयोग" शब्दों के स्थान में, "बिजली परियोजनाओं और संबंधित उद्योग के **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग से संबंधित अनुसंधान तथा विकास इकाईयाँ गोदाम कैंटीन, कार्यालय भवन इमारत जैसे सहायक औद्योगिक" उपयोग शब्द रखे जाएँगे ;

(दो) खण्ड (क क) के स्थान में, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

सन् १९६६ का महा. ३७।

"(क क) "एकीकृत नगरी परियोजना" का तात्पर्य, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ या तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि के अधीन सरकार द्वारा एकीकृत नगरी के विकास के लिए विरचित विनियमों के अधीन एकीकृत नगरी परियोजना या परियोजनाओं से है।"।

अध्याय चार

महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम में संशोधन।

सन् १९५८ का ९९।

६. महाराष्ट्र अभिधृति तथा कृषि भूमि (विदर्भ क्षेत्र) अधिनियम (जिसे इसमें आगे, "विदर्भ क्षेत्र अधिनियम" कहा गया है) की धारा ८९ की, उप-धारा (१ख) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :— सन् १९५८ का ९९ की धारा ८९ में संशोधन।

"(१ ग) उप-धारा (१) की कोई भी बात, नगर निगम या नगर परिषद की सीमाओं के भीतर या महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन नियुक्त या गठित विशेष योजना प्राधिकरण या नए नगर विकास प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर स्थित भूमि को, और महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन तैयार प्रारुप या अंतिम प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना स्कीम में आवास, वाणिज्य, औद्योगिक या किसी अन्य अ-कृषक उपयोग के लिए आबंटित भूमि को भी लागू नहीं होगी :

सन् १९६६ का महा. ३७।

सन् १९६६ का महा. ३७।

परंतु, निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक ऐसे किसी अ-कृषक उपयोग के लिए या किसी अन्य अ-कृषक उपयोग के लिए कोई व्यक्ति जो कृषक नहीं है उसके पक्ष में भूमि का काई अंतरण ऐसी शर्तों के अध्यधीन किया जाएगा कि, अंतरण के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के भीतर ऐसी भूमि का अ-कृषक प्रयोग किया जाएगा और ऐसी भूमि के अधिकार अभिलेख में ऐसे शर्तों की सम्यक् प्रविष्ट की जाएगी :

परंतु आगे यह कि, प्रारुप या अंतिम विकास योजना या प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना स्कीम में अनुज्ञेय किसी अ-कृषक उपयोग के लिए अंतरित भूमि के बारे में, उपरोक्त पाँच वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, कलक्टर को, प्रतिवर्ष ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के दो प्रतिशत दर पर अनुपयोग प्रभारों की अदायगी पर, जो पाँच वर्षों से अधिकतर न हो इतनी विस्तार अवधि दी जा सकेगी जहाँ ऐसी विस्तारित अवधि की मंजूरी के दिनांक को लागू बंबई स्टाम्प (संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य का अवधारण) नियम, १९९५ के अधीन प्रकाशित दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार बाजार मूल्य परिगणित किया जाएगा :

परंतु यह भी कि, यदि पश्चात्वर्ती अंतरिती समेत कोई अंतरिती, यदि कोई हो, उस भूमि की पाँच वर्षों की अवधि के भीतर, या, जहाँ उपरोक्त रुप में अनुपयोग प्रभारों को अदा किया गया है वहाँ, कुल दस वर्षों की अवधि के भीतर, प्रारुप या अंतिम विकास योजना या प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना स्कीम में अनुज्ञेय अ-कृषिक भूमि का उपयोग करने में असफल होता है तो कलक्टर उक्त चूककर्ता अंतरिती को एक महीने की नोटिस देने के पश्चात्, ऐसी भूमि वापस लेगा और कलक्टर द्वारा इस प्रकार वापस ली गई भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर सरकार को निहित होगी और मूल भू-धारक द्वारा वह भूमि ऐसे अ-कृषिक उपयोग के लिए अंतरण करने के पूर्व जिस भू-धृति पर प्रारंभिक रूप से धारण की थी उसी भू-धृति पर और ऐसे मूल भू-दारक द्वारा ऐसे अ-कृषिक उपयोग के लिए वह भूमि जिस मूल्य पर अंतरित की गई थी उसी मूल्य पर मूल भू-धारक को दी जाएगी :

परंतु यह भी कि, यदि मूल भू-धारक उक्त भूमि के खरीदने का प्रस्ताव कलक्टर से प्राप्त दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करने में असफल होता है या ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करने के पश्चात्, अधिकतर नब्बे दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक राशि कलक्टर को जमा करने में

असफल होता है तो प्रारुप या अंतिम विकास योजना या प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना स्कीम के अधीन सुसंगत तथा अनुज्ञेय ऐसे किसी उपयोग के लिए ऐसी भूमि की नीलामी की जाएगी ; और दोनों मामलों में, चूककर्ता अंतरिती केवल, जिस मूल्य पर उसके द्वारा ऐसी भूमि खरीदी गई थी उस समान मूल्य के प्रतिकर के लिए वह हकदार होगा, और कलक्टर, उक्त नीलामी के अधीन संदाय की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ऐसे चूककर्ता अंतरिती को ऐसा प्रतिकर लौटाएगा :

परंतु यह भी कि, यदि कोई व्यक्ति जो कृषक नहीं है, प्रारुप या अंतिम विकास योजना या प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना स्कीम में अनुज्ञेय ऐसे अ-कृषक उपयोग के लिए उक्त भूमि का पूर्णतः या अंशतः उपयोग करने में असफल होता है, और तत्पश्चात् उस भूमि की बिक्री दर्षों की कुल विहित कालावधी के अवसान के पूर्व करना चाहता है, तब, कलक्टर द्वारा, द्वितीय परंतुक में विनिर्दिष्ट अनुपयोग प्रभारों की अदायगी के अध्यधीन, ऐसे अ-कृषक उपयोग के लिए उक्त भूमि के प्रथम अंतरण के दिनांक से विहित दस वर्षों की कालावधी में से शेष कालावधी के लिए, प्रारुप या अंतिम विकास योजना या प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना स्कीम में अनुज्ञेय किसी अ-कृषक उपयोग के लिए अंतरिती, वर्तमान वार्षिक दरों के विवरण के अनुसार ऐसे भूमि के बाजार मूल्य के पच्चीस प्रतिशत दर पर अंतरण प्रभार जमा करेगा इस शर्त के अध्यधीन, उसे इस प्रकार करने की अनुमति दी जाएगी। ”।

सन् १९५८ का ९९ की धारा ८९ क में संशोधन।

७. विदर्भ क्षेत्र अधिनियम की धारा ८९क की,—

(एक) उप-धारा (१) के, —

(क) मूल खण्ड में, “या, यथास्थिति, विशेष नगरी परियोजनाओं के लिए,” शब्दों के स्थान में “या, यथास्थिति एकीकृत नगरी परियोजनाओं के लिए,” शब्द रखे जाएँगे ;

(ख) खण्ड (एक) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(एक) महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम १९६६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन तैयार किए गए या, यथास्थिति, प्रारुप या अंतिम प्रादेशिक योजना या प्रारुप या अंतिम नगर योजना स्कीम के कृषिक क्षेत्र, और ऐसे अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त ऐसी विधियों में से किसी विधि के अधीन विरचित योजनाएँ या स्कीम और विकास नियंत्रण विनियम या नियम उस भूमि के औद्योगिक उपयोग को अनुमति देते हो ; या ”; सन् १९६६ का महा. ३७ ।

(ग) खण्ड (तीन) में, “विशेष नगरी परियोजना के” शब्दों के स्थान में, “एकीकृत नगरी परियोजना के” शब्द रखे जाएँगे ;

(घ) प्रथम तथा द्वितीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु, जहाँ भूमि की ऐसी खरेदी **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग के लिए है तो वह ऐसी शर्तों के अध्यधीन होगी कि, खरेदी के दिनांक से पाँच वर्षों की अवधि के भीतर ऐसी भूमि का **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग किया जाएगा :

परंतु आगे यह कि, प्रारुप या अंतिम विकास योजना या प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना में अनुज्ञेय किसी अ-कृषक उपयोग के लिए अंतरित भूमि के बारे में, उपरोक्त पाँच वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात्, कलक्टर द्वारा, प्रतिवर्ष ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के दो प्रतिशत दर पर अनुपयोग प्रभारों की अदायगी पर, जो पाँच वर्षों से अधिकतर न हो इतनी विस्तार अवधि दी जा सकेगी जहाँ ऐसी विस्तारित अवधी की मंजूरी के दिनांक को लागू बंबई स्टाम्प (संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य का अवधारण नियम, १९९५ के अधीन प्रकाशित दरों के वार्षिक विवरण के अनुसार बाजार मूल्य परिगणित किया जायेगा :

परंतु यह भी कि, यदि खरीददार उस भूमि की पाँच वर्षों की अवधि के भीतर, या, जहाँ उपरोक्त रुप में अनुपयोग प्रभारों को अदा किया गया है वहाँ, कुल दस वर्षों की अवधि के भीतर, भूमि का **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग करने में असफल होता है तो कलक्टर उस चुककर्ता खरीददार को एक महीने की नोटिस देने के पश्चात ऐसी भूमि वापस लेगा और कलक्टर द्वारा इस प्रकार वापस ली गई भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर सरकार को निहित होगी और मूल भू-धारक द्वारा वह भूमि ऐसे **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग के लिए अंतरण करने के पूर्व जिस भू-धृति पर प्रारंभिक रुप से धारण की थी उसी भू-धृति पर और ऐसे मूल भू-धारक द्वारा ऐसे **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग के लिए वह भूमि जिस मूल्य पर अंतरित की गई थी उसी मूल्य पर मूल भू-धारक को दी जाएगी :

परंतु यह भी कि, यदि मूल भू-धारक उक्त भूमि के खरीदने का प्रस्ताव कलक्टर से प्राप्त दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करने में असफल होता है या ऐसा प्रस्ताव स्वीकार करने के पश्चात्, अधिकतर नब्बे दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक राशि कलक्टर को जमा करने में असफल होता है तो प्रारुप या अंतिम विकास योजना या प्रादेशिक योजना या, यथास्थिति, नगर योजना स्कीम, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मंजूर, यदि कोई हो, के अधीन सुसंगत तथा अनुज्ञेय ऐसे किसी उपयोग के लिए ऐसी भूमि की नीलामी की जाएगी ; और दोनों मामलों में, चूककर्ता खरीददार केवल, जिस मूल्य पर उसके द्वारा ऐसी भूमि खरीदी गई थी उस समान मुल्य के प्रतिकर के लिए वह हकदार होगा, और कलक्टर, उक्त नीलामी के अधीन संदाय की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ऐसे चूककर्ता खरीददार को ऐसा प्रतिकर लौटाएगा :";

सन् १९६६ का महा. ३७।

(दो) उप-धारा (२) में,—

(क) "विशेष नगरी परियोजना के लिए" शब्दों के स्थान में, "एकीकृत नगरी परियोजना के लिए " शब्द रखे जाएँगे ;

(ख) निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु, यदि ऐसा खरीददार एक महीने के भीतर ऐसी रकम जमा करने में असफल होता है, तब ऐसा खरीददार क्रय मूल्य या उस वर्ष के वार्षिक दरों के विवरण के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य के पचहत्तर प्रतिशत इतनी रकम, जो कोई अधिक हो, सरकार को अदा करेगा ।";

(तीन) उप-धारा (३) में, "या, यथास्थिति, विशेष नगरी परियोजना के लिए," शब्दों के स्थान में, "या यथास्थिति, एकीकृत नगरी परियोजना के लिए," शब्द रखे जाएँगे ;

(चार) उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :—

"(५) **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि का रुपांतरण करने के लिए उप-धारा (१) के अधीन यदि भूमि क्रय करने वाला व्यक्ति, **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग के लिए, उक्त भूमि का पूर्णतः या अंशतः उपयोग करने में असफल होता है और दस वर्षों की कुल विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व उस भूमि की बिक्री करना चाहता है, तो कलक्टर द्वारा, उप-धारा (१) के द्वितीय परंतुक में विनिर्दिष्ट अनुपयोग प्रभारों की अदायगी के अध्यधीन, मूल खरीदी के दिनांक से विनिर्दिष्ट दस वर्षों की अवधि में से शेष अवधि के लिए, निम्न शर्तों के अध्यधीन, उसे इस प्रकार करने की अनुमति दी जा सकेगी, अर्थात् :—

(एक) जहाँ **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग के लिए उक्त भूमि बेची जानी है वहाँ अंतरिती को वर्तमान वार्षिक दरों के विवरण के अनुसार ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पच्चीस प्रतिशत दर पर अंतरण प्रभार कलक्टर को जमा करना होगा ;

(दो) जहाँ उक्त भूमि **वास्तविक** औद्योगिक उपयोग से अन्य किसी अ-कृषक प्रयोजन के लिए बेची जानी है, जो महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन बनाए गए प्रारुप या अंतिम विकास योजना या नगर योजना स्कीम से सुसंगत है, तब अंतरिती को, वर्तमान वार्षिक दरों के विवरण के अनुसार ऐसी भूमि के बाजार मूल्य के पचास प्रतिशत के समतुल्य रुपांतरण प्रभार कलक्टर को देना होगा और भूमि अधिभोगी वर्ग-दो के मामले में, ऐसी भूमि जिस दर पर मूल रुप से खरीदी गई थी, उस दर के अड़तालीस प्रतिशत इतनी अतिरिक्त रकम **नजराने** के बदले में जमा करना होगा ।"; सन् १९६६ का महा. ३७ ।

(पाँच) स्पष्टीकरण में,–

(एक) खण्ड (क) में, " बिजली परियोजनाओं और संबंधित उद्योग के अनुसंधान तथा विकास, गोदाम, कैंटीन, कार्यालय भवन जैसे सहायक औद्यौगिक उपयोग" शब्दों के स्थान में, " बिजली परियोजनाओं और संबंधित उद्योग के वास्तविक औद्योगिक उपयोग से संबंधित अनुसंधान तथा विकास इकाईयाँ, गोदाम, कैंटीन, कार्यालय भवन जैसे सहायक औद्योगिक उपयोग " शब्द रखे जाएँगे ;

(दो) खण्ड (कक) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) "एकीकृत नगरी परियोजना" का तात्पर्य, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सरकार द्वारा एकीकृत नगरी के विकास के लिए विरचित विनियमों के अधीन एकीकृत नगरी परियोजना या परियोजनाओं से है ।"। सन् १९६६ का महा. ३७ ।

(यथार्थ अनुवाद)

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. II OF 2016.

THE MAHARASHTRA PREVENTION OF FRAGMENTATION AND CONSOLIDATION OF HOLDING (AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ३० दिसम्बर २०१५ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. II OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PREVENTION OF FRAGMENTATION AND CONSOLIDATION OF HOLDINGS ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २ सन् २०१६।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक १ जनवरी २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र धृति के खण्डकरण तथा समेकन की रोकथाम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

सन् १९४७ का ६२।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र धृति के खण्डकरण तथा समेकन की रोकथाम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र धृति के खण्डकरण तथा समेकन की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

सन् १९४७ का ६२ में धारा ८ख की निविष्टि।

सन् १९४७ का ६२।

२. महाराष्ट्र धृति के खण्डकरण तथा समेकन की रोकथाम अधिनियम की धारा ८क के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

कतिपय क्षेत्रों में स्थित भूमि को धारा ७, ८ तथा ८कक लागू नहीं होंगी।

" **८ख.** नगर निगम या नगर परिषद की सीमा के भीतर स्थित भूमि, या महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन नियुक्त या गठित विशेष योजना प्राधिकरण या नये नगर विकास प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर स्थित भूमि या महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन तैयार प्रारूप या अंतिम प्रादेशिक योजना में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक या किन्हीं अन्य अकृषक उपयोग के लिये आबंटित भूमि के लिये भी धारा ७, ८ तथा ८कक लागू नहीं होंगी :

सन १९६६ का महा. ३७।
सन् १९६६ का महा. ३७।

परंतु, कोई व्यक्ति, जब तक महाराष्ट्र धृति के खण्डकरण तथा समेकन की रोकथाम (संशोधन) अधिनियम, २०१५ के प्रवृत्त होने के दिनांक पर अधिसूचित मानक क्षेत्र से कम क्षेत्र हो, के खण्ड का, महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर योजना अधिनियम, १९६६ या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन योजना प्राधिकरण या, यथास्थिति, कलक्टर द्वारा अनुमोदित प्रविभाजन या अभिन्यास के परिणामस्वरुप, ऐसे खण्ड सृजित है तब तक उपर्युक्त विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्थित भूमि के किसी खण्ड का अंतरण नहीं करेगा ।

सन् १९६६ का महा. ३७।

सन् २०१६ का महा.२।

(यथार्य अनुवाद),
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. III OF 2016.

THE MAHARASHTRA STATE PUBLIC SERVICES

[RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, DE-NOTIFIED TRIBES (VIMUKTA JATIS,) NOMADIC TRIBES, SPECIAL BACKWARD CATEGORY AND OTHER BACKWARD CLASSES] (AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक ६ जनवरी २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. III OF 2016.

AN ACT TO AMEND THE MAHARASHTRA STATE PUBLIC SERVICES

[RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES, DE-NOTIFIED TRIBES (VIMUKTA JATIS,) NOMADIC TRIBES, SPECIAL BACKWARD CATEGORY AND OTHER BACKWARD CLASSES] ACT, 2001.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३ सन् २०१६।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक ७ जनवरी २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य लोक सेवाओं [अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति, (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़े प्रवर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण] अधिनियम, २००१ में संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् २००४ का महा. ८।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य लोक सेवाओं [अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति **(विमुक्त जाति),** खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़े प्रवर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण] अधिनियम, २००१ में संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था;

और इसलिए, महाराष्ट्र राज्य लोक सेवाएँ [अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति **(विमुक्त जाति),** खानाबदोश जनजाती, विशेष पिछड़े प्रवर्ग तथा अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण] (संशोधन) अध्यादेश २०१५, २ दिसम्बर २०१५ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र. २४।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र राज्य लोक सेवाएँ [अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति **(विमुक्त जाति),** खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़े प्रवर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण] (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाये ।

(२) यह १ अगस्त २०१४ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् २००४ का महा. ८।

२. महाराष्ट्र राज्य लोक सेवाएँ [अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति **(विमुक्त जाति),** खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़े प्रवर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण] अधिनियम, २००१ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है), की धारा ४ की, उप-धारा (२) में,— सन् २००४ का महा. ८ की धारा ४ में संशोधन।

(क) तृतीय परंतुक में, "थाने" शब्द, १ अगस्त २०१४ से अपमार्जित किया जायेगा ;

(ख) तृतीय परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक, जोडा जायेगा, अर्थात्,—

"परंतु यह भी कि, पालघर जिले के निर्माण के दिनांक के पूर्ववर्ती, अर्थात् १ अगस्त २०१४ के पूर्व के दिनांक पर किन्ही सरकार के आदेशों के अधीन, वर्ग 'ग' तथा वर्ग 'घ' में सीधे भर्ती के लिये तत्कालीन थाने जिले में अनुसूचित जनजाति के लिये जो अतिरिक्त आरक्षण समेत आरक्षण प्रवृत्त था, ऐसे आदेशों के रुपांतरित या प्रतिसंहृत होने तक पालघर जिले में १ अगस्त २०१४ से प्रवृत्त होना जारी रहेगा ; और १ अगस्त २०१४ को या के पश्चात् १ अगस्त २०१४ से विद्यमान थाने जिले में वर्ग 'ग' और वर्ग 'घ' में सीधी भर्ती के लिये आरक्षण, इस उप-धारा के अधीन तालिका में यथा उपबंधित होगा। "।

सन् २०१५ का महा. अध्या. २४।

३. (१) महाराष्ट्र राज्य लोक सेवाएँ [अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति **(विमुक्त जाति),** खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़े प्रवर्ग तथा अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण] (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१५ का महा. अध्या. क्र.२४ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन, कृत की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. IV OF 2016.

THE ORPHANGES AND OTHER CHARITABLE HOMES (SUPERVISION AND CONTROL), THE PERSON WITH DISABILITIES (EQUAL OPPORTUNITIES, PROTECTION OF RIGHTS AND FULL PARTICIPATION) AND THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) (MAHARASHTRA AMENDMENT) ACT, 2009.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राष्ट्रपती की अनुमति दिनांक ३१ दिसंबर २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

नि. ज. जमादार,
प्रभारी सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. IV OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE ORPHANGES AND OTHER CHARITABLE HOMES (SUPERVISION AND CONTROL), ACT, 1960, THE PERSON WITH DISABILITIES (EQUAL OPPORTUNITIES, PROTECTION OF RIGHTS AND FULL PARTICIPATION) ACT, 1995, AND THE BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1996, IN THEIR APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ०४ सन् २०१६।

(जो कि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, "महाराष्ट्र राजपत्र" में दिनांक १५ जनवरी २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में यथाप्रयुक्त अनाथालयों तथा अन्य पूर्त निवासों का (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, १९६०, विकलांग व्यक्तियों के लिये, (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, १९९५ और भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के लिये रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९९६, में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अधिनियम ।

सन् १९६० का १०। सन् १९९६ का १। सन् १९९६ का २७।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में यथाप्रयुक्त अनाथालयों तथा अन्य पूर्त निवासों का (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, १९६०, विकलांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, १९९५ और भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९९६, में संशोधन करना इष्टकर है; इसलिए भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम ।

१. यह अधिनियम अनाथालयों तथा अन्य पूर्त निवासों का (पर्यवेक्षण और नियंत्रण), विकलांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) और भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, २००९ कहलाए ।

अध्याय दो

अनाथालयों तथा अन्य पूर्त निवासों का (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, १९६० में. संशोधन।

सन् १९६० का १० की धारा ५ में संशोधन।

२. अनाथालयों तथा अन्य पूर्त निवासों का (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, १९६०, (जिसे इसमें आगे, "अनाथालयों तथा पूर्त निवास अधिनियम" कहा गया है) की धारा ५, की उप-धारा (२) के खण्ड (क) के स्थान में निम्न खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) राज्य विधान सभा के सदस्यों में से राज्य विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य विधान सभा के दो सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्यों में से राज्य विधान परिषद के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य विधान परिषद का एक सदस्य ;"।

सन् १९६० का १० की धारा ६ में संशोधन।

३. अनाथालयों और पूर्त निवास अधिनियम की धारा ६ की उप-धारा (१) के परंतुक में, "खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान में, "खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएँगे ।

अध्याय तीन

विकलांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, १९९५ में संशोधन।

सन् १९९६ का १ ।

सन् १९९६ का १ की धारा १३ में संशोधन।

४. महाराष्ट्र राज्य में यथाप्रयुक्त विकलांग व्यक्तियों के लिए (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, १९९५ की, धारा १३ की उप-धारा (२) के खण्ड (छ) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) राज्य विधानमंडल के तीन सदस्य, उनमें से दो सदस्य राज्य विधान सभा के सदस्यों में से राज्य विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएँगे और एक सदस्य राज्य विधान परिषद के सदस्यों में से राज्य विधान परिषद के सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएँगा ;"।

अध्याय चार

भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के लिये (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९९६ में संशोधन।

सन् १९९६ का २७ ।

सन् १९९६ का २७ की धारा ४ में संशोधन।

५. महाराष्ट्र राज्य में यथाप्रयुक्त भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के लिये (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९९६ की धारा ४ की उप-धारा (२) के, खण्ड (ख) के स्थान में, निम्न खण्ड, रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) राज्य विधानमंडल के दो सदस्य, उनमें से एक सदस्य राज्य विधान सभा के सदस्यों में से राज्य विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और एक सदस्य राज्य विधान परिषद के सभापति द्वारा राज्य विधान परिषद के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा..... सदस्य ;"।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. V OF 2016.

THE MAHARASHTRA PREVENTION OF DANGEROUS ACTIVITIES OF SLUMLORDS, BOOTLEGGERS, DRUG-OFFENDERS, DANGEROUS PERSONS AND VIDEO PIRATES (AMENDMENT) ACT, 2015.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २२ जनवरी २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रकाश हिं. माली,
सचिव (विधि विधान),
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. V OF 2016.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PREVENTION OF DANGEROUS ACTIVITIES OF SLUMLORDS, BOOTLEGGERS, DRUG-OFFENDERS, DANGEROUS PERSONS AND VIDEO PIRATES ACT, 1981.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ सन् २०१६।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २९ जनवरी २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र मलिन बस्ती दादा, अवैध शराब बनानेवाले, मादक द्रव्य अपराधियों, खतरनाक व्यक्तियों और विडिओ पायरेट की खतरनाक गतिविधियों का निवारण अधिनियम, १९८१ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितीयाँ विद्यमान थी, जिनके कारण उन्हे इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र मलिन बस्ती, दादा, अवैध शराब बनानेवाले, मादक द्रव्य अपराधीयों, खतरनाक व्यक्तियों और विडिओ पायरेट की खतरनाक गतिविधियों का निवारण अधिनियम, १९८१ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; सन १९८१ का महा. ५५।

और इसलिए, महाराष्ट्र मलिन बस्ती दादा, अवैध शराब बनानेवाले, मादक द्रव्य अपराधियों, खतरनाक व्यक्तियों और विडियो पायरेट की खतरनाक गतिविधियों का निवारण (संशोधन) अध्यादेश, २०१५, १ दिसंबर २०१५ को प्रख्यापित किया गया था ; सन २०१५ का महा. अध्या. क्र. १३।

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) के परंतुक के अधीन भारत के राष्ट्रपति का अनुदेश प्राप्त किये गये है ;

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधान मंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकार है : इसलिए भारत गणराज्य के सड़सठवे वर्षमे, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम, अधिनियमित, किया जाता है :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र मलिन बस्ती दादा, अवैध शराब बनानेवाले, मादक द्रव्य अपराधियों, खतरनाक व्यक्तियों और विडिओ पायरेट की खतरनाक गतिविधियों का निवारण (संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

यह १ दिसंबर २०१५ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

सन् १९८१ का महा.५५ ।

२. महाराष्ट्र मलिन बस्ती दादा, अवैध शराब बनानेवाले, मादक द्रव्य अपराधियों, खतरनाक व्यक्तियों और विडिओ पायरेट की खतरनाक गतिविधियों का निवारण अधिनियम, १९८१ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) के दीर्घ शीर्षक में, " और विडिओ पायरेट " शब्दों के स्थान में, " विडिओ पायरेट, बालू-तस्कर और मूलभूत वस्तुओं के काला-बाजार में जुडे व्यक्ति " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९८१ का महा.५५ के दीर्घ शीर्षक में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा १, की उप-धारा (१) में, " और विडिओ पायरेट " शब्दों के स्थान में, " विडिओ पायरेट, बालू तस्करों और मूलभूत वस्तुओं के काला-बाजार में जुडे व्यक्ति " शब्द रखे जायेंगे। सन् १९८१ का महा. ५५ की धारा १ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा २ के,— सन् १९८१ का महा. ५५ की धारा २ में संशोधन।

(एक) खण्ड (क) के,—

(क) उप-खण्ड (चार) के पश्चात्, निम्न उप-खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

(चार-क) बालू-तस्कर के मामले में, बालू तस्कर के रुप में, उसके किन्हीं गतिविधियों में जब वह जुड़ा हुआ है, या जुड़ने की तैयारी कर रहा है जो लोक व्यवस्था के रखरखाव को प्रतिकूलता से प्रभावित या प्रतिकूलता से प्रभावित करने की संभावना है ;

(चार-ख) मूलभूत वस्तुओं के काला-बाजार में जुड़े व्यक्ति के मामले में, मूलभूत वस्तुओं के काला-बाजार में जुड़े व्यक्ति के रुप में, उसके किन्हीं गतिविधियों में, जब वह जुड़ा हुआ हो, या जुड़ने की तैयारी कर रहा है जो लोक व्यवस्था के रखरखाव को प्रतिकूलता से प्रभावित या प्रतिकूलता से प्रभावित करने की संभावना है ;

(ख) **स्पष्टीकरण** में, " लोक स्वास्थ्य " शब्दों के पश्चात्, " या मूलभूत वस्तुओं के काला-बाजार द्वारा लोक सुरक्षा और प्रशांति में विघ्न या समाज के दैनंदिन जीवन में विघ्न जिसके परिणामस्वरुप ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति में कृत्रिम दुर्भिक्षता और मूलभूत वस्तुओं की कीमतें बढने में वृद्धि होती है, जो अंत में मुद्रास्फीति विषयक मामला हो सकता है" शब्द निविष्ट किये जायेंगे । " ;

(दो) खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात् :—

" (ड़-१) " मूलभूत वस्तुओं के काला-बाजार में जुड़े व्यक्ति " का तात्पर्य, व्यक्ति जो समाज के लिये मूलभूत वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव के लिये किन्ही प्रतिकूल रित्या कार्य करनेवाले से है ।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिये, " समाज के लिये आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के रखरखाव के लिये किन्ही प्रतिकूल रित्या कार्य करनेवाला " अभिव्यक्ति का तात्पर्य,—

सन् १९५५ का १० ।

(एक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ के अधीन या, समाज के लिये आवश्यक किन्हीं वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, आपूर्ति या के वितरण, या व्यापार और वाणिज्य से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करना या करने के लिये उकसाना ; या

सन् १९५५ का १० ।

(दो) आवश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ में यथा परिभाषित या खण्ड (एक) में निर्दिष्ट है के रुप में किसी अन्य विधि में बनाये गये जो उपबंध है उसके संबंध में जो आवश्यक वस्तु है ऐसी किसी वस्तु का व्यवहार करना,

सन् १९५५ का १० ।

किसी रित्या में, कोई अभिलाभ करने दृष्टि से, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ या खण्ड (एक) में निर्दिष्ट किसी अन्य विधि के उपबंधों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विफल या विफल करनेवाला है ;

(ड़-२) " बालू तस्कर " का तात्पर्य, व्यक्ति जो व्यक्तिशः या व्यक्तियों के समूह के एक भाग के रुप में, अनधिकृत निकालना, हटाना, संग्रहण करना, प्रतिस्थापन करना, बालू को निकलना या निपटान करना और उसका परिवहन, संचयन और क्रय में जुडा हो या जुड़ने की तैयारी में है या शामिल है या

दुष्प्रेरित करता है, या जो अपराध करने या करने का प्रयास करता है या अपराध करने मे दुष्प्रेरित करता है, जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५७ के अधीन या महाराष्ट्र गौण खनिज उदग्रहण (विकास और विनियमन) नियम, २०१३ के अधीन दण्डनीय है, से है ; " ; सन् १९५७ का ६७ ।

सन् १९८१ का महा. ५५ की धारा १७ में संशोधन ।

५. मूल अधिनियम की धारा १७ के,—

(एक) खण्ड (ख) में, अंत में " और " शब्द अपमार्जित किया जायेगा ;

(दो) खण्ड (ग) में, " और " शब्द अंत में जोड़ा जायेगा ;

(तीन) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्न खण्ड जोडा जायेगा, अर्थात् :—

" (घ) किन्हीं बालू तस्करों के संबंध में, महाराष्ट्र मलिन बस्ती दादा, अवैध शराब बनानेवाले, मादक द्रव्य अपराधियों, खतरनाक व्यक्तियों और विडिओ पायरेट की खतरनाक गतिविधियों का निवारण (संशोधन) अधिनियम, २०१५ के प्रारम्भण पर या के पश्चात् । "। सन् २०१६ का ५ ।

सन् १९८१ का महा. ५५ में नयी धारा १७क की निविष्टि ।

६. मूल अधिनियम की धारा १७ के पश्चात्, निम्न नयी धारा १७क निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

आवश्यक वस्तुओं के काला-बाज़ार में जुडे किसी व्यक्ति के विरुद्ध अवरोधन आदेश इस अधिनियम के अधीन बनाया जायेगा और काला-बाज़ार का निवारण और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाये रखना अधिनियम के अधीन नहीं होगा ।

" **१७ क.** काला-बाजार निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, १९८० के अधीन कोई अवरोधन का आदेश, राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन उसके किसी अधिकारी द्वारा, या महाराष्ट्र मलिन बस्ती दादा, अवैध शराब बनानेवाले, मादक द्रव्य अपराधियों, खतरनाक व्यक्तियों और विडिओ पायरेटस की खतरनाक गतिविधियों का निवारण (संशोधन) अधिनियम, २०१५ के प्रारम्भण पर या के पश्चात्, आवश्यक वस्तुओं के काला-बाजार में जुड़े किसी व्यक्ति के संबंध में नहीं बनाया जायेगा ।"। सन् १९८० का ७ । सन् २०१५ का महा. .... ।

सन् २०१५ का महा. अध्या क्र. २३ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

७. (१) महाराष्ट्र मलिन बस्ती दादा, अवैध शराब बनानेवाले, मादक द्रव्य अपराधियों, खतरनाक व्यक्तियों और विडिओ पायरेटस की खतरनाक गतिविधियों का निवारण (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१५ का महा. अध्या. २३।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधिन, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. VI OF 2016.

THE MAHARASHTRA PARAMEDICAL COUNCIL ACT, 2011.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक ३० जनवारी २०१६ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजेंद्र जी. भागवत,
शासन के प्रारुपकार एवं संयुक्त सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. VI OF 2016.

AN ACT TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF A PARAMEDICAL COUNCIL TO REGULATE CERTAIN MATTERS IN THE STATE PERTAINING TO REGISTRATION OF PARAMEDICAL PRACTITIONERS AND FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ सन् २०१६।

(जो कि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक ३० जनवरी, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

राज्य में पराचिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित कतिपय मामलों को विनियमित करने के लिए पराचिकित्सा परिषद की स्थापना करने और तत्संबंधी या उसमें आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

क्योंकि राज्य में पराचिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित कतिपय मामलों को विनियमित करने के लिए महाराष्ट्र पराचिकित्सा परिषद की स्थापना करने और तत्संबंधी या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करना इष्टकर हैं ; इसलिए, भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में, निम्मलिखित रुप में अधिनियमित किया जाता हैं :—

अध्याय एक

प्रारम्भिक।

संक्षिप्त नाम, विस्तारण तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र पराचिकित्सा परिषद अधिनियम, २०११ कहलाए।

(२) इसका विस्तार संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में है।

(३) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएँ।

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " परिषद " का तात्पर्य, धारा ३ के अधीन स्थापित महाराष्ट्र पराचिकित्सा परिषद से है ;

(ख) " सरकार " या " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(ग) " सदस्य " का तात्पर्य, परिषद के सदस्य से है ;

(घ) " पराचिकित्सा अर्हता " का तात्पर्य, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या पाठ्यक्रम चाहे जो भी नाम हो से है और आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा, चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति, युनानी पद्धति और हौम्योपॅथिक पद्धति सिखानेवाले या व्यवसाय करने में आनुषांगिक या सहायक के रूप में आवश्यक सेवा देनेवाली व्यक्ति के प्रशिक्षण हेतु तैयार की गई कोई मान्यताप्राप्त अर्हता और मान्यताप्राप्त पराचिकित्सा अर्हताओं के रूप में सरकार द्वारा, समय समय पर अधिसूचित की जाये ऐसी अन्य अर्हताओं से है ;

(ङ) " विहित " का तात्पर्य, नियमों द्वारा विहित से है ;

(च) " अध्यक्ष " का तात्पर्य, परिषद के अध्यक्ष से है ;

(छ) " मान्यताप्राप्त पराचिकित्सा संस्था " का तात्पर्य, पराचिकित्सा व्यवसाय करने के लिए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त किसी चिकित्सा महाविद्यालय या अस्पताल या अन्य संस्था से है ;

(ज) " मान्यताप्राप्त पराचिकित्सा अर्हता " का तात्पर्य, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक द्वारा मंजूर या विधि द्वारा स्थापित कोई अन्य विश्वविद्यालय या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था चाहे जो भी नाम हो, किसी पराचिकित्सा अर्हता में उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या पाठ्यक्रम से है ;

(झ) " रजिस्ट्रीकृत पराचिकित्सा व्यवसायी " का तात्पर्य, धारा २६ के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई व्यक्ति से है ;

(ञ) " विनियम " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा ४१ के अधीन परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों से है ;

(ट) " नियम " का तात्पर्य, धारा ४० के अधीन बनाये गये नियमों से है ;

(ठ) " अनुसूची " का तात्पर्य, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची से है ;

(ड) " राज्य रजिस्टर " का तात्पर्य, धारा २६ के अधीन बनाये रखे गये रजिस्टर से है और " रजिस्ट्रीकृत " और " रजिस्ट्रीकरण " पदों का अर्थ तद्नुसार लगाया जायेगा ;

(ढ) " उपाध्यक्ष " का तात्पर्य, परिषद के उपाध्यक्ष से है ;

अध्याय दो

महाराष्ट्र पराचिकित्सा परिषद की स्थापना और गठन।

महाराष्ट्र पराचिकित्सा परिषद की स्थापना।

३. (१) सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभण के बाद, यथाशीघ्र, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाये ऐसे, दिनांक से महाराष्ट्र पराचिकित्सा परिषद नामक परिषद की स्थापना कर सकेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन स्थापित परिषद, उपर्युक्त नाम द्वारा निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम और स्थावर दोनों संपत्तियाँ अर्जित, धारण करने की और उनका निपटान करने की और संविदा करने की शक्ति होगी तथा वह निगमित नाम से वाद चला सकेगी या उसके निगमित नाम से वाद चलाया जा सकेगा।

परिषद का गठन।

४. (१) परिषद, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् : —

(एक) निदेशक, महाराष्ट्र चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान पदेन सदस्य ;

(दो) निदेशक, महाराष्ट्र स्वास्थ्य सेवा, पदेन सदस्य ;

(तीन) निदेशक, आयुर्वेद, महाराष्ट्र पदेन सदस्य ;

(चार) कुलपति, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विश्वविद्यालय या उसका नामनिर्देशिती, **पदेन** सदस्य ;

(पाँच) अध्यक्ष, महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद, **पदेन** सदस्य ;

(छह) सरकार द्वारा नामित पाँच सदस्य ;

(सात) रजिस्ट्रीकृत पराचिकित्सा व्यवसायियों में से निर्वाचित किये जानेवाले प्रत्येक राजस्व प्रभाग में से एक ऐसे छह सदस्य, ऐसी रीत्या में होंगे जैसा कि विहित किया जाए :

परंतु, इस अधिनियम के प्रारम्भण के बाद, पहली बार परिषद गठन होने के मामले में इस प्रवर्ग के अधीन सदस्य, सरकार द्वारा, नामनिर्देशन द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(२) कोई भी व्यक्ति, एक से अधिक सदस्य के रुप में उसी समय पर सेवा नहीं करेगा।

(३) परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, उसके सदस्यों द्वारा उनमें से निर्वाचित किये जायेंगे।

नामित तथा निर्वाचित सदस्यों की पदावधी।

५. (१) सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, निर्वाचित और नामित सदस्यों के नाम प्रकाशित करेगी।

(२) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, सदस्य, चाहे निर्वाचित या नामित हो, वे परिषद की प्रथम बैठक की दिनांक के प्रारंभ से पाँच वर्ष की पदावधि के लिए पद धारण करेंगे।

परंतु, धारा ४ की उप-धारा (१) के खंड (सात) के परंतुक के अधीन नामित सदस्य निर्वाचित सदस्य उनके कार्यालयों में प्रवेश करने तक पद धारण करते रहेंगे और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य, उक्त खंड (सात) के अधीन नामित सदस्यों की अवसित न होनेवाली पदावधि के लिए पद पर बने रहेंगे।

(३) परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, अपने निर्वाचन के दिनांक से, सदस्य के रुप में उनकी पदावधि अवसित होने तक, पद धारण करेंगे।

(४) धारा ४ की उप-धारा (१) के खंड (चार) के अधीन नामित महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति का नामनिर्देशिती, कुलपति की अनुपस्थिति में सदस्य का पद धारण करेगा।

(५) उप-धारा (२) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पदावरोही सदस्य, उसके उत्तरवर्ती का नामांकन या, यथास्थिति, निर्वाचन होने तक पद पर बना रहेगा।

(६) किसी भी सदस्य को परिषद द्वारा अनुपस्थिति की छुट्टी छह महीने से अनधिक नहीं ऐसी अवधि के लिए मंजूर की जायेगी।

निरर्हताएँ।

६. (१) कोई व्यक्ति, सदस्य के रूप में नामित या निर्वाचित होने से और के रुप में बने रहने से निरर्ह होगा, यदि,—

(क) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है ;

(ख) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है ;

(ग) यदि वह विकृत चित्त का है या होता है और उसे सक्षम न्यायालय ने इस प्रकार घोषित किया है ;

(घ) यदि वह नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त ऐसे किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहरा है ; या ठहराया गया है ;

(ङ) यदि वह परिषद का कर्मचारी है और वह वेतन या मानदेय द्वारा पारिश्रमिक पाता है ; या

(च) यदि उसका नाम राज्य रजिस्टर या चिकित्सा, **आयुर्वेद, युनानी** या **हौम्योपॅथिक** व्यवसायियों के रजिस्टर से तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन हटाया गया है और उसे उसमें पुनःप्रविष्ट नहीं किया है।

नामित या निर्वाचित सदस्यों द्वारा इस्तीफा देना।

७. (१) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या नामित सदस्य, परिषद के रजिस्ट्रार को सूचना देने के अधीन, सरकार को त्यागपत्र प्रस्तुत करके किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकेगा। इस्तीफा, उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिनांक को सरकार द्वारा उसे स्वीकृत किया जाता है।

(२) निर्वाचित सदस्य, सरकार को सूचना देने के अधीन, अध्यक्ष को त्यागपत्र प्रस्तुत करके किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकेगा। ऐसा प्रत्येक इस्तीफा, उस दिनांक से प्रभावी होगा जिस दिनांक को अध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकृत किया जाता है।

अनुपस्थित या निरर्हित सदस्य का पद रिक्त घोषित करना।

८. (१) यदि पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, उसकी पदावधि के दौरान,—

(क) धारा ५ की उप-धारा (६) के अधीन परिषद की मंजूरी के बिना छुट्टी लेकर परिषद की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है ; या

(ख) लगातार बारह महीनों की अधिक कालावधि के लिए भारत के बाहर ठहर जाता है ; या

(ग) धारा ६ में उल्लिखित किन्हीं अनर्हताओं के अध्यधीन होता है या पाया जाता है ; तो परिषद, उसका पद रिक्त घोषित करेगी :

परंतु, जब तक संबंधित सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता है तब तक इस उप-धारा के अधीन कोई घोषणा नहीं की जायेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन की घोषणा द्वारा व्यथित कोई सदस्य, ऐसी घोषणा के दिनांक से विहित रीत्या में नब्बे दिनों के भीतर सरकार को अपील कर सकेगी और उस पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

आकस्मिक रिक्तियाँ भरना।

९. पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य की पदावधि अवसित होने से पूर्व, मृत्यु इस्तीफा या अनर्हता या निर्योग्यता किसी कारणवश होनेवाली कोई आकस्मिक रिक्ति, यथाशीघ्र, नामांकन या, यथास्थिति, निर्वाचन द्वारा भरी जायेगी और इस नामित या निर्वाचित व्यक्ति उसके पद-पूर्ववर्ती की पदावधि अनावसित होने तक पद धारण करेगा।

अध्याय तीन

परिषद के कारोबार का संचालन।

बैठक बुलाना।

१०. (१) अध्यक्ष, प्रत्येक बैठक बुलायेगा और उसकी दिनांक नियत करेगा जो चाहे साधारण हो या विशेष हो।

(२) प्रत्येक बैठक की सूचना, उसका दिनांक समय और स्थान और उसमें होनेवाले कारोबार का संव्यवहार विनिर्दिष्ट करके साधारण बैठक के पूर्ण पंद्रह दिन पूर्व और विशेष बैठक के पूर्ण सात दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को भेजी जायेगी।

(३) अध्यक्ष की अनुमति बगैर सूचना में विनिर्दिष्ट से भिन्न कोई कारोबार बैठक में नहीं किया जायेगा।

विशेष बैठक बुलाने की अध्यक्ष की शक्ति।

११. अध्यक्ष, यदि वह उचित समझता है तो, सात सदस्यों से कम नहीं द्वारा हस्ताक्षरित लिखित मांग की प्राप्ति के दो सप्ताहों से अनधिक की अवधि के भीतर विशेष बुला सकेगा।

बैठक की अध्यक्षता करना।

१२. अध्यक्ष, जब भी उपस्थित हो, परिषद को प्रत्येक की अध्यक्षता करेगा। यदि किसी बैठक में अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो, उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से निर्वाचित कोई अन्य सदस्य, ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा।

मतों के बहुमत द्वारा प्रश्न का निर्णय करना।

१३. इस अधिनियम के अधीन या के द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, परिषद की बैठक के समस्त प्रश्नों पर, उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत द्वारा निर्णय किया जायेगा और बैठक में मतदान और मतों के बराबर पडने के मामले में पीठासीन प्राधिकारी बैठक पर द्वितीय या निर्णायक मत दे देगा।

परिषद की बैठक की प्रक्रिया।

१४. परिषद की बैठक की गणपूर्ति के अभाव में स्थगित किये जाने की और कार्यवृत्त अभिलिखित करने की प्रक्रिया, विहित किये जाये ऐसी होगी।

कार्यवाहियों की वैधता।

१५. परिषद का कोई कृत्य या कार्यवाहियाँ केवल,—

(क) उसमें कोई रिक्ति या गठनमें कोई त्रुटि होने के कारण ; या

(ख) उसके सदस्य के रुप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन या नामांकन में कोई त्रुटी होने के कारण ;

(ग) उसकी प्रक्रिया में ऐसी किसी अनियमितता के कारण, जो मामले के गुणागुण को प्रभावित न करती हो, अविधिमान्य नहीं होगी।

सदस्यो को भत्ता।

१६. (१) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को बैठकों में उपस्थित रहने और ऐसी उचित यात्रा करने के लिए जैसा कि विहित किया जाए ऐसे भत्ते और अन्य भत्ते अदा किये जायेंगे ;

(२) कोई भी सदस्य, उप-धारा (१) में यथा विनिर्दिष्ट अदायगी से भिन्न, कोई अदायगी परिषद से पाने का हकदार नहीं होगा।

विशेष ज्ञान या अनुभव रखनेवाले किसी व्यक्ति को आमंत्रित करने की परिषद की शक्तियाँ।

१७. (१) परिषद, यदि समुचित या आवश्यक समझे तो, उसकी किन्हीं बैठकों के लिए परिषद के उद्देश्यों तथा कृत्यों से सुसंगत अन्य क्षेत्रो में या पराचिकित्सा क्षेत्र में या संबंधित अध्ययन या व्यवसाय में विशेष ज्ञान या अनुभव रखनेवाले किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकेगी। ऐसे व्यक्ति को चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु, उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(२) ऐसा आमंत्रिति, बैठक में उपस्थित रहने के प्रयोजन के लिए धारा १६ में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी यात्रा और अन्य भत्ते पाने का हकदार होगा।

समितियाँ।

१८. (१) परिषद, वह उचित समझे ऐसी संख्या में उसके सदस्यों से बनी समिती या समितियाँ, समय-समय पर और ऐसी अवधि के लिए नियत करेगी और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई मामला जाँच और रिपोर्ट या राय के लिए ऐसी समिती या समितीयों को निर्देश दे सकेगी।

(२) उप-धारा (१) के अधीन नियत की गई प्रत्येक समिती, उसकी प्रथम बैठक पर उसके सदस्यों में से किसी एक को उसके अध्यक्ष के रूप में चुनेगी।

(३) ऐसी समिती की नियुक्ति का ढंग, ऐसी समिती की बैठकों का बुलाया जाना और आयोजन किया जाना और कामकाज का संचालन, विनियमों द्वारा अवधारित किया जाये ऐसा होगा।

(४) ऐसी समिती का अध्यक्ष, यदि समुचित या आवश्यक समझे तो, समिति को उसकी किन्हीं बैठकों के लिए उस विषय में विशेष ज्ञान या अनुभव रखनेवाली किसी व्यक्ती कों आमंत्रित कर सकेगा और उस मामले में धारा १७ के उपबंध लागू होंगे।

अध्याय चार

परिषद की शक्तियाँ और कृत्य।

परिषद की शक्तियाँ और कृत्य।

१९. (१) इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन, परिषद, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समझे ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करेगी।

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद की शक्तियाँ और कृत्य निम्न होंगे,—

(क) राज्य रजिस्टर बनाये रखना ;

(ख) धारा २० की उप-धारा (३) के अधीन नवीन पराचिकित्सा अर्हताओं की मान्यता के लिए सरकार को सिफारिश करना ;

(ग) विनियमों द्वारा अवधारित की जाये ऐसी रीत्या में रजिस्ट्रार के किसी विनिश्चय से अपील की सुनवाई और विनिश्चय करना ;

(घ) पराचिकित्सा में रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों का व्यावसायिक आचरण विनियमित करने के लिए आचार संहिता विरचित करना ;

(ङ) रजिस्ट्रीकृत पराचिकित्सा व्यवसायी को फटकारना, या निलंबित करना या राज्य रजिस्टर से निकाल देना या उसके विरुद्ध ऐसी अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही करना जो परिषद की राय में आवश्यक या इष्टकर हो ;

(च) परिषद की तीन क्रमवर्ती बैठकों में अनुपस्थित रहने के लिए किसी सदस्य को अनुज्ञा देना ;

(छ) पराचिकित्सा और संबंधित विषयों में नवीन और विद्यमान प्रतिष्ठान में नवप्रवर्तन, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना ;

(ज) पराचिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, **आयुर्वेदिक, युनानी** और चिकित्सा की होम्योपॅथिक पद्धति के बीच की प्रभावी कड़ी को बढ़ावा देना ;

(झ) धारा ४ की उप-धारा (१) के खण्ड़ (सात) के अधीन, सदस्यों के निर्वाचन का आयोजन करना ; और

(ञ) विहित किया जाये ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना।

अध्याय पाँच

पराचिकित्सा अर्हताओं की मान्यता।

भारत और विदेश में वहाँ जो आदान-प्रदान की योजना है, उसके विश्वविद्यालय या पराचिकित्सा संस्थाओं द्वारा अनुदत्त पराचिकित्सा अर्हताओं को मान्यता देना।

२०. (१) भारतीय चिकित्सा संस्था द्वारा अनुदत्त पराचिकित्सा अर्हताएँ जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, १९५६ की प्रथम अनुसूची में सम्मिलित है वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त पराचिकित्सा अर्हताएँ समझी जायेंगी। सन् १९५६ का १०२ ।

(२) भारत के बाहर की चिकित्सा संस्थाओं द्वारा अनुदत्त पराचिकित्सा अर्हताएँ जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, १९५६ की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित है वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त पराचिकित्सा अर्हताएँ समझी जायेगी। सन् १९५६ का १०२ ।

(३) सरकार, परिषद के साथ परामर्श करने के बाद, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई पराचिकित्सा अर्हता मान्य कर सकेगी।

(४) जहाँ परिषद ने किसी पराचिकित्सा अर्हता को जिसे मान्यता के लिए प्रस्तावित किया गया है की सिफारिश से इन्कार किया है, तो सरकार, यदि कोई हो, ऐसे किन्हीं इन्कार के लिए कारणों के ऐसे आवेदन पर विचार करने के बाद और परिषद से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में संशोधन करेगी ताकि उसमें ऐसी अर्हता सम्मिलित की जा सकेगी।

अध्याय छह

परिषद के रजिस्ट्रार और अन्य कर्मचारी।

परिषद का रजिस्ट्रार और उसके अन्य कर्मचारी।

२१. (१) परिषद, सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी जो परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(२) परिषद, समय समय पर, ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी जैसा इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निष्पादन और अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए वह आवश्यक समझे।

(३) रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की अर्हताएँ, वेतन भत्ता और सेवा की अन्य शर्ते ऐसी होंगी जैसा कि विहित किया जाये।

(४) इस धारा के अधीन परिषद द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार और कोई अन्य अधिकारी या कर्मचारी, भारतीय दंड संहिता, १८६० की धारा २१ के अर्थान्तर्गत लोकसेवक समझे जायेंगे। सन् १८६० का ४५ ।

रजिस्ट्रार के कर्तव्य।

२२. (१) इस अधिनियम के उपबंधों और परिषद द्वारा समय-समय पर, बनाये गये किसी आदेश के अनुसार, राज्य रजिस्टर तैयार करना और बनाये रखना और विनियमों द्वारा अवधारित किया जाये ऐसी रीत्या में रजिस्टर पुनरीक्षित करना और **राजपत्र** में आदेश प्रकाशित करना रजिस्ट्रार का कर्तव्य होगा।

(२) रजिस्ट्रार, ऐसे कर्तव्यों का पालन और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाये या विहित किया जाये।

(३) रजिस्ट्रार, इसकी सुनिश्चिति करेगा कि राज्य रजिस्टर सभी समय पर ठीक है और वह समय-समय पर रजिस्ट्रीकृत पराचिकित्सा व्यवसायियों के पते और अर्हताओं के संबंध में किसी महत्वपूर्ण सुधार को उसमें प्रविष्ट करता है।

(४) रजिस्ट्रार, राज्य रजिस्टर में से रजिस्ट्रीकृत पराचिकित्सा व्यवसायी जो मृत हुए है उनके नाम रजिस्टर में से हटायेगा या राज्य रजिस्टर में से जिनके नाम हटाने के निर्देश हुए है या जिसने रजिस्ट्रीकृत पराचिकित्सा व्यवसाय छोड दिया है उनके नाम हटायेगा।

(५) रजिस्ट्रीकृत पराचिकित्सा व्यवसायी से सूचना की प्राप्ति पर, यदि परिषद का समाधान हो जाता है कि उस व्यवसायी ने व्यवसाय करना नहीं छोड़ा है तब, परिषद रजिस्ट्रार को ऐसे व्यवसायी का नाम राज्य रजिस्टर में पुन:प्रविष्ट करने के निदेश दे सकेगी और रजिस्ट्रार ऐसे निदेश का पालन करेगा।

अध्याय सात

परिषद की निधि।

परिषद की निधि।

२३. (१) परिषद, एक परिषद निधि नामक निधि स्थापन करेगी।

(२) परिषद निधि में निम्न भाग होगा या उसमें अदा किया जायेगा,—

(क) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा कोई अंशदान या अनुदान ;

(ख) फीस तथा जुर्माने से होनेवाली आय समेत सभी स्त्रोतों से परिषद को होनेवाली समस्त आय ;

(ग) समस्त दान, धर्मदाय आय या अन्य अनुदानों, से धन, यदि कोई हो ;

(घ) परिषद द्वारा प्राप्त समस्त अन्य राशि।

जिस उद्देश के लिए परिषद निधि लागू होगी।

२४. परिषद निधि, निम्न उद्देश्यों के लिए लागू होगी, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, परिषद द्वारा उपगत ऋणों का प्रतिसंदाय ;

(ख) किसी वाद या कानूनी कार्यवाहियों का व्यय जिसमें परिषद पक्षकार है ;

(ग) परिषद के अधिकारियों ओर कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों की अदायगी ;

(घ) परिषद के सदस्यों को यात्रा तथा अन्य भत्तों की अदायगी ;

(ङ) इस अधिनियमों के उपबंधों और तद्धीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के कार्यान्वयन में परिषद द्वारा उपगत किन्हीं व्ययों की अदायगी।

लेखा तथा लेखापरीक्षा।

२५. (१) परिषद के लेखे, ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसे अंतरालों पर और ऐसी रीत्या में लेखापरीक्षित किये जायेंगे जैसा कि विहित किया जाये।

(२) परिषद के लेखे, रजिस्ट्रीकृत चार्टड अकाउंटंट द्वारा लेखापरीक्षित किये जायेंगे। चार्टड अकाउंटंट की लेखापरीक्षा फीस, विनियमों द्वारा अवधारित की जायेगी।

अध्याय आठ

रजिस्ट्रीकरण और राज्य रजिस्टर।

रजिस्ट्रीकरण और राज्य रजिस्टर।

२६. (१) इस अधिनियम के प्रारंभण के बाद, यथाशीघ्र, रजिस्ट्रार, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, राज्य के लिए पराचिकित्सा व्यवसायी का राज्य रजिस्टर तैयार करेगा और बनाये रखेगा।

(२) प्रत्येक व्यक्ति जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट मान्यताप्राप्त पराचिकित्सा अर्हता धारण करता है और जो पराचिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय जारी रखना चाहता है तो, ऐसी अर्हता के सबूत सहित रजिस्ट्रार को ऐसा आवेदन करने पर और ऐसी अर्हता का प्रस्तुतीकरण करने के साथ और ऐसी फीस की अदायगी पर जैसा कि विहित किया जाये, अपना नाम राज्य रजिस्टर में प्रविष्ट करने का हकदार होगा। ऐसा रजिस्ट्रीकरण, पाँच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का पदधारी कर्तव्य यह होगा कि वह विनियमों द्वारा अवधारित रीत्या में अपना रजिस्ट्रीकरण नवीकृत करेगा।

(३) परिषद, विनियमों द्वारा अवधारित किये जाये ऐसे प्ररुप में पराचिकित्सा व्यवसायियों का राज्य रजिस्टर बनाये रखेगी।

(४) राज्य रजिस्टर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ के अर्थान्तर्गत सार्वजनिक दस्तावेज समझा जायेगा। सन् १८७२ का १।

राज्य रजिस्टर से प्रविष्टि प्रतिषेध या नाम हटाने की परिषद की शक्ति।

२७. परिषद, रजिस्ट्रार से या अन्यथा के संदर्भ पर, आदेश द्वारा, राज्य रजिस्टर में प्रविष्टि का प्रतिषेध करने या किसी व्यक्ति का नाम हटाने का आदेश देगी,—

(क) दंड न्यायालय द्वारा जो ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया है जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है ; या

(ख) परिषद की राय में, जिसका आचरण परिषद द्वारा विरचित किसी आचार संहिता के अधीन विशिष्टतया व्यवसाय के संबंध में बदनाम है:

परंन्तु, कोई आदेश संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, इस धारा के अधीन पारित नहीं किया जायेगा।

राज्य रजिस्ट्रर में परिवर्तन।

२८. (१) परिषद, संबधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने और उसके आक्षेपों की जाँच करने के बाद, यदि कोई हो, यह आदेश देगी कि राज्य रजिस्टर में की कोई प्रविष्टि जिसे परिषद की राय में वह कपट से या गलती से की कई या के बारे में लायी गई है तो रद्द या संशोधित की जायेगी।

(२) परिषद, जिसका रजिस्ट्रीकरण धारा २७ के अधीन परिषद द्वारा प्रतिषेधित किया जा सकेगा, उस समान कारण के लिये किसी रजिस्ट्रीकृत पराचिकित्सा व्यवसायी का नाम राज्य रजिस्टर से हमेशा के लिए या विनिर्दिष्ट अवधि के लिये हटाने का निर्देश दे सकेगी ;

(३) परिषद, यह निदेश देगी कि उप-धारा (२) के अधीन हटाया गया नाम प्रत्यावर्तित किया जाए, ऐसी शर्तो के अध्यधीन, यदि कोई हो, जिसे परिषद अधिरोपित करना उचित समझेगी।

जाँच की प्रक्रिया।

२९. (१) इस धारा के अधीन कोई जाँच करने में, परिषद को निम्न मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल न्यायालय में यथा निहित शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात् :— सन् १९०८ का ५।

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर करने और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना ;

(ग) साक्षियों की जाँच के लिये कमीशन जारी करना।

(२) इस धारा के अधीन सभी जाँच, भारतीय दण्ड़ संहिता, १८६० की धारी १९३, २१९ और २२८ के अर्थान्तर्गत न्यायिक प्रक्रिया समझी जायेगी। सन् १८६० का ४५।

(३) इस धारा के अधीन किसी जाँच में उद्‌भूत विधि के किसी प्रश्न पर परिषद परामर्श के प्रयोजनार्थ ऐसी सभी जाँच में एक कर-निर्धारक होगा जो दस वर्षों से कम न हो की अवधि के लिए,—

सन् १९६१ का २५ ।

(एक) अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ के अधीन प्रविष्ट किया गया अधिवक्ता ; या

(दो) उच्च न्यायालय का अटर्नी हो।

स्पष्टीकरण.—इस खण्ड़ के प्रयोजनार्थ, जो व्यक्ति अधिवक्ता के रुप में प्रविष्ट है जिस दौरान की अवधि परिगणित है वहाँ भारतीय विधिज्ञ परिषद अधिनियम, १९२६ के अधीन अधिवक्ता के रूप में जो नामांकित है उस दौरान की अवधि सम्मिलित की जायेगी।

सन् १९२६ का ३८ ।

(४) जहाँ साक्ष्य, प्रक्रिया या किसी अन्य मामलों में विधि के किसी प्रश्न पर कर-निर्धारक परिषद की सलाह देता है प्रत्येक पक्ष या पक्ष के उपस्थित व्यक्ति की उपस्थिति में जाँच के लिये जो जिस कारण से उपस्थित है की जाँच की जायेगी या, यदि दस्तावेज परिषद को अपने विचार-विमर्श शुरू करने के बाद प्रस्तुत किये है तो यथा उपर्युक्त प्रत्येक ऐसा पक्ष या व्यक्ति कर-निर्धारक ने कौनसी सलाह दी है वह भी सूचित करेगा। ऐसा पक्ष या व्यक्ति यह भी सूचित करेगा कि यदि परिषद किसी मामले में यथा उपर्युक्त किसी ऐसे प्रश्न पर कर-निर्धारक की सलाह स्वीकृत न करें।

(५) इस धारा के अधीन कोई कर-निर्धारक या तो सामान्यतः या किसी विशिष्ट जाँच या जाँच के वर्ग के लिये नियुक्त किया जायेगा और उसे जैसा कि विनियमों द्वारा अवधारित किया जाए ऐसा पारिश्रमिक अदा किया जायेगा।

परिषद के आदेश के विरुद्ध अपील।

३०. कोई व्यक्ति,—

(क) धारा २६ या २८ के अधीन जिसका आवेदन राज्य रजिस्टर में नामांकन के लिये अस्वीकृत किया गया है ;

(ख) धारा २७ के अधीन जिसकी प्रविष्टि राज्य रजिस्टर में प्रतिषिद्ध की गई है ; या

(ग) जिसका नाम राज्य रजिस्टर से हटाया गया है ;

अस्वीकृत, प्रतिषेध या, यथास्थिति, हटाये जाने के आदेश के नब्बे दिनों के भीतर जैसा कि विहित किया जाए ऐसे रीत्या में सरकार को अपील कर सकेगा और उस पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय नौ

अपराध और शास्तियाँ।

इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय व्यवसाय पर प्रतिषेध।

३१. (१) रजिस्ट्रीकृत पराचिकित्सा व्यवसायी जिसका नाम इस अधिनियम के अधीन तैयार किये गये और बनाए रखे गये रजिस्टर में प्रविष्ट है से अन्य कोई व्यक्ति पराचिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा।

(२) कोई व्यक्ति जो उप-धारा (१) के उपबंधों के उल्लंघन में दोषसिद्धि पर,—

(क) प्रथम अपराध के लिये ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है और ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रुपयों से कम नहीं होगी परन्तु, जो दस हजार रुपयों तक बढ़ायी जा सकती है ; और

(ख) द्वितीय या पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिये ऐसे कारावास से जिसकी अवधि दस वर्षों के लिये बढ़ायी जा सकती है और ऐसे जुर्माने से जिसे पच्चीस हजार रुपयों तक बढ़ायी जा सकती है, से दण्ड़ित किया जायेगा ;

(३) उप-धारा (२) के अधीन, सभी अपराध, संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।

हक का दुरुपयोग।

३२. यदि कोई व्यक्ति, रजिस्ट्रीकृत पराचिकित्सा व्यवसायी न होते हुए भी, पराचिकित्सा व्यवसायी के विवरण या परामर्शता के लाभ उठाता है या उपयोग करता है या मान्यता प्राप्त पराचिकित्सा अर्हता धारण नहीं करता है या ऐसी पराचिकित्सा अर्हता दर्शनेवाली या सूचित करनेवाली उपाधि या डिप्लोमा या संक्षेपाक्षर का उपयोग करता है, तो दोषसिद्धि पर,—

(क) प्रथम अपराध के लिये, ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रुपयों तक बढ़ायी जा सकेगी ; और

(ख) पश्चात्वर्ती अपराध के लिये ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है या ऐसे जुर्माने से जिसे दस हजार रुपयों तक बढ़ायी जा सकती है या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करने में असफल होना।

३३. यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम राज्य रजिस्टर से हटाया गया है, यथोचित कारण के बिना तत्काल अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रीकरण का नवीकृत प्रमाणपत्र या दोनों अभ्यर्पित करने में असफल रहता है तो, दोषसिद्धि पर, ऐसी असफलता के लिए प्रति महीने पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

प्रमाणपत्र का उपयोग बेईमानी के लिए करने पर शास्ति।

३४. कोई व्यक्ति जो,—

(क) इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त किये गये रजिस्ट्रीकरण के किसी प्रमाणपत्र का बेईमानी के लिये दुरूपयोग करता है ; या

(ख) घोषणा प्रमाणपत्र या प्रतिवेदन चाहे लिखित में या अन्यथा करने या प्रस्तुत करने, या किसी मिथ्या या कपट से किये जाने के कारण या प्रस्तुती द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है ; या

(ग) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संबंधित रीत्या में कोई मिथ्या प्रस्तुतीकरण जानबूझकर करता है या किये जाने के कारण बनता है,

तो दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकेगा या ऐसे जुर्माने से जिसे बीस हजार रुपयों तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों से दण्ड़ित किया जायेगा।

अध्याय दस

विविध।

अपराध का संज्ञान।

३५. (१) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा रजिस्ट्रार या इस निमित्त परिषद द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई लिखित शिकायत को छोड़कर दण्ड़नीय अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(२) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्ड़नीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

परिषद द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना।

३६. परिषद सरकार को ऐसी रिपोर्ट, अपने कार्यवृत्त, अपने लेखाओं का सार और अन्य जानकारी अग्रेषित करेगी, जैसा कि सरकार अपेक्षा करे।

अनुसूची संशोधित करने की शक्ति।

३७. यदि परिषद की रिपोर्ट पर या अन्यथा सरकार को यह प्रतीत हुआ है कि इसमें किसी पराचिकित्सा विषय विनिर्दिष्ट नहीं है या कई पराचिकित्सा विषय अपमार्जित करने की आवश्यकता है या कुछ में उपांतरण करने की जरूरत है तो सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में संशोधन कर सकेगी ताकि उसमें ऐसे विषय जो उसमें पहले से ही विनिर्दिष्ट नहीं है या कोई विषय उससे छोड़ दिये गये है या किसी विषय का विवरण उपांतरित करना उसमें शामिल किया गया है।

सरकार द्वारा नियंत्रण।

३८. (१) यदि किसी भी समय सरकार को यह प्रतीत होता है कि परिषद या उसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उस पर या उसके द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने में असफल हुआ या अतिक्रमण या दुरूपयोग करता है, या इस अधिनियम द्वारा या के अधीन उस पर या उसके द्वारा अधिरोपित

किन्हीं कर्तव्यों का अनुपालन करने से परिविरत हुआ है, तो सरकार गंभीर स्वरूप की ऐसी असफलता, अतिक्रमण या दुरूपयोग पर विचार करेगी, परिषद, या उसका अध्यक्ष या, यथास्थिति, उपाध्यक्ष को उसकी विशिष्टियाँ अधिसूचित करेगी। यदि परिषद या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा कि राज्य सरकार, इस निमित्त नियत करें ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर ऐसी असफलता, अतिक्रमण, दुरूपयोग या अक्षमता उपायों को करने में असफल होते हैं तो सरकार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटा सकेगी या परिषद विघटित करेगी।

(२) परिषद के विघटन पर,—

(क) परिषद के सभी सदस्य, विघटन के दिनांक पर उनकी पदावधी समाप्त न होते हुए भी अपने पद रिक्त करेंगे ;

(ख) परिषद की सभी शक्तियाँ और कर्तव्य जो इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या के अधीन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रयोगक्तव्य और अनुपालन किये जाऐंगे जैसा सरकार निदेश दे, जैसा वह उचित समझे, दो वर्षों से अनधिक ऐसी अवधि के लिये सरकार उपबंधित रीत्या नवीन परिषद के गठन के लिए कदम उठायेगी ;

(ग) परिषद में निहित सभी सम्पत्तियाँ, विघटन की अवधि के दौरान, सरकार में निहित होंगी।

सद्भावनापूर्वक किये गये कार्य के लिये संरक्षण।

३९. इस अधिनियम के अधीन, सद्भावनापूर्वक कृत या करने के लिए आशयित किसी कार्य के लिये सरकार, परिषद, परिषद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या किसी अधिकारी या परिषद या सरकार के किसी अन्य कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं चलायी जायेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

४०. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तो के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यन्वित करने के लिये नियम बना सकेगी। ऐसे नियम, नियमों द्वारा विहित किए जाने के लिए इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से आवश्यक या अनुमत समस्त या किन्हीं मामलों का उपबंध करने हेतु बनाये जा सकेंगे।

(२) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखा जायेगा, जो कि चाहे एक सत्र में हो या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो और यदि, उस सत्र में जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया था या उसके ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम कमें कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते है या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हों कि नियम न बनाया जाये और उस प्रभाव का अपना विनिश्चिय **राजपत्र** में अधिसूचित करते है तो ऐसे विनिश्चय का **राजपत्र** में अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से नियम ऐसे परवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा ; तथापि, ऐसा कोई परिवर्तन या बातिलिकरण उस नियम के अधीन पहले की गई या किये जाने से छोड़ी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

विनियम बनाने की शक्ति।

४१. (१) परिषद, सरकार की पूर्व मंजूरी से, इस अधिनियम के कृत्यों का पालन करने के लिए और सामान्यतया इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और तद्धीन निर्मित नियमों से अनअसंगत विनियम बना सकेगी।

(२) विशिष्टतया और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित समस्त या किन्हीं मामलों के लिए उपलब्ध कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) परिषद की सम्पत्ति का प्रबंधन और अपने लेखे का रखरखाव और लेखा परिक्षण ;

(ख) परिषद के नामनिर्दिशित या निर्वाचित सदस्यों द्वारा इस्तिफा ;

(ग) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियाँ और कर्तव्य ;

(घ) समितियों की नियुक्तियों की रीति समन देने और बैठक रखने और ऐसी समितियों के कामकाज का संचालन ;

(ङ) (एक) धारा १९ की उप-धारा (२) के खण्ड (ग) के अधीन रजिस्ट्रार के विनिश्चय से अपील पर सुनवाई और विनिश्चय की रीति ;

(दो) धारा १९ की उप-धारा (२) के खण्ड (घ) के अधीन वृत्तिक संचालन विनियमित करने के लिए आचार संहिता ;

(च) धारा २२ की उप-धारा (१) के अधीन राज्य रजिस्टर के पुनरीक्षण की रीति ;

(छ) धारा २६ की उप-धारा (२) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की रीति ;

(ज) अन्य कोई मामले जिसके लिए विनियमों द्वारा उपबंध बनाये जायेंगे।

(३) सरकार, मंजूरी के लिये विनियम प्राप्त होने पर, ऐसे उपांतरणों के अध्यधीन जैसा वह उचित समझे मंजूरी देगी या पुनर्विचारार्थ परिषद को वापस करेगी।

(४) सरकार, अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन किये गये किसी विनियम को विखंडित और उपांतरित करेगी और तदुपरांत, विनियम प्रभावी होने से परिविरत होंगे या उपांतरित होंगे।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

४२. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई प्रोद्भूत होती है तो सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, जैसा अवसर आये, कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनार्थ जो उसे आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो ऐसी कोई बात कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत नहीं है :

परंतु, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के बाद, ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसके जाने के पश्चात, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

अनुसूची

[धारा २० (४), २६ (२) और ३७ देखिए]

अनु. क्र.	पाठ्यक्रम के नाम	
(१)	(२)	
१	बी. पी. एम. टी. . .	पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (प्रयोगशाला तकनीशियन)।
२	बी. पी. एम. टी. . .	पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (एक्स-रे चित्रण तकनीशियन)।
३	बी. एम. पी. टी. . .	पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (एक्स-रे चिकित्सा तकनीशियन)।
४	बी. पी. एम. टी. . .	पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (कार्डिओलॉजी तकनीशियन)।
५	बी. पी. एम. टी. . .	पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (तांन्त्रिका-विज्ञान तकनीशियन)।
६	बी. पी. एम. टी. . .	पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (रूधिर आधान तकनीशियन)।
७	बी. पी. एम. टी. . .	पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (दृष्टिमिति तकनीशियन)।
८	बी. पी. एम. टी. . .	पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (पलस्तर तकनीशियन)।
९	बी. पी. एम. टी. . .	पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (बेहोशी तकनीशियन)।
१०	बी. पी. एम. टी. . .	पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (द्रव निषेचन)।
११	बी. पी. एम. टी. . .	पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (शल्यकर्म थिएटर तकनीशियन)।
१२	बी. पी. एम. टी. . .	पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (चिकित्सा प्रतिलेखन)।

(१)	(२)
१३	बी. पी. एम. टी. . . पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (कोशिका तकनीशियन)।
१४	बी. पी. एम. टी. . . पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (ऊतक रोग निदान तकनीशियन)।
१५	बी. पी. एम. टी. . . पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (रक्त आघात तकनीशियन)।
१६	बी. पी. एम. टी. . . पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (नैदानिक मनोविज्ञान)।
१७	बी. पी. एम. टी. . . पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (एन्डोस्कोपी तकनीशियन)।
१८	बी. पी. एम. टी. . . पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (समुदाय चिकित्सा)।
१९	बी. पी. एम. टी. . . पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (स्वास्थ्य निरीक्षक)।
२०	बी. पी. एम. टी. . . पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (आपातकाल)।
२१	बी. पी. एम. टी. . . पराचिकित्सा पौद्योगिकी का स्नातक (न्यायालयिक विज्ञान)।
२२	उपरोक्त अनुक्रमांक १ से २१ में प्रविष्टियों में निर्दिष्ट पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा।

(यथार्थ अनुवाद),
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.